



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 16] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 12, 2016/पौष 22, 1937
No. 16] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 12, 2016/PAUSA 22, 1937

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी और संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 2016

(अंतिम जांच परिणाम)

विषय : यूरोपीय यूनियन, सिंगापुर कोरिया और जनवादी गणराज्य मूल के अथवा वहां से निर्यातित फिनोल के आयातों पर पाटन-रोधी संबंधी जांच ।

एफ. संख्या 14/13/2014-डीजीएडी.—यतः समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटन-रोधी शुल्क का अभिज्ञान, मूल्यांकन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 को ध्यान में रखते हुए ;

क. मामले की पृष्ठभूमि

1. उपरोक्त नियमावली के अंतर्गत निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) को समय-समय पर संशोधित शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर संशोधित शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटन-रोधी शुल्क का अभिज्ञान, मूल्यांकन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे पाटन-रोधी नियमावली अथवा नियम भी कहा गया है) के अनुसार घरेलू उद्योग की ओर से मेसर्ज हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (एचओसीएल) और मेसर्ज एस आई ग्रुप इंडिया लिमिटेड (जिन्हें आगे आवेदक अथवा याचिकादाता कहा गया है) से एक लिखित आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि यूरोपीय यूनियन, सिंगापुर और कोरिया जनवादी गणराज्य (जिन्हें आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) मूल की अथवा वहां से निर्यातित फिनोल का कथित पाटन हो रहा है तथा उसमें यह अनुरोध किया गया है कि संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटन-रोधी जांच शुरू की जाए तथा पाटन-रोधी शुल्क लगाया जाए ।

2. और यतः प्राधिकारी ने यह पाया है कि संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के पाटन होने तथा उनसे घरेलू उद्योग को क्षति होने तथा पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध होने के प्रथम दृष्टया पर्याप्त प्रमाण हैं और इसलिए उन्होंने दिनांक 15 अक्टूबर, 2014 की अधिसूचना संख्या 14/13/2014-डीजीएडी द्वारा पाटन-रोधी जांच की शुरुआत की है ताकि नियमावली के अनुसार आरोपित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव को निर्धारित किया जा सके और पाटन-रोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश की जा सके, जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

क. क्रिया-विधि

3. प्राधिकारी द्वारा निम्नोक्त वर्णित क्रिया-विधि का अनुसरण किया गया है :

- (i) प्राधिकारी ने पाटन-रोधी नियमावली के अनुसार जांच शुरू करने की कार्रवाई करने से पहले आरोपित पाटन के आवेदन प्राप्त होने के बारे में नई दिल्ली में स्थित यूरोपियन यूनियन के प्रतिनिधिमंडल, भारत में सिंगापुर के उच्चायुक्त और कोरिया जनवादी गणराज्य के दूतावास को सूचित किया था।
- (ii) प्राधिकारी ने जांच शुरू करने को यथोचित ठहराने के लिए आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किए गए पर्याप्त प्रमाणों के आधार पर ही संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों की जांच शुरू करने का निर्णय लिया है।
- (iii) प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तुओं के संबद्ध आयातों की पाटन—रोधी जांच शुरू करने के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण में दिनांक 15 अक्टूबर, 2014 को प्रकाशित एक सार्वजनिक सूचना जारी की थी।
- (iv) प्राधिकारी ने इस सार्वजनिक सूचना की एक प्रति सभी ज्ञात निर्यातकों (जिनके व्यौरे आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराए गए थे) को तथा उद्योग संघों को प्रेषित की थी और उन्हें अवसर प्रदान किया गया था कि वे पाटन-रोधी नियमावली के अनुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राधिकारी को लिखित रूप से अपने विचारों से अवगत करा दें।
- (v) प्राधिकारी ने इस सार्वजनिक सूचना की एक प्रति, भारत में संबद्ध वस्तुओं के ज्ञात सभी आयातकों को भी प्रेषित की थी और उन्हें सलाह दी थी कि वे प्राधिकारी को निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने लिखित विचारों से अवगत करा दें।
- (vi) प्राधिकारी ने उपरोक्त नियमावली के नियम 6 (3) के अनुसार आवेदकों की ओर से प्रस्तुत किए गए आवेदन के अगोपनीय वृत्तान्त की प्रतियां संबद्ध देश के संबद्ध वस्तुओं के ज्ञात निर्यातकों और नई दिल्ली में स्थित यूरोपियन यूनियन के प्रतिनिधिमंडल, भारत में सिंगापुर के उच्चायुक्त और कोरिया जनवादी गणराज्य के दूतावास को उपलब्ध कराई थीं। इसके अतिरिक्त आवेदन की एक प्रति ऐसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भी उपलब्ध कराई गई थी जिन्होंने उसके लिए अनुरोध किया था।
- (vii) पाटन-रोधी नियमावली के नियम 6 (4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाने के लिए भारत में संबद्ध वस्तुओं के ज्ञात निम्नलिखित आयातकों और/अथवा उपभोक्ताओं को आयातक की प्रश्नावलियां भेजी गई थीं :-

(क) (i) मेसर्ज एल जी केम लिमिटेड, कोरिया जनवादी गणराज्य

(ख) मेसर्ज कुम्हो पी एंड बी केमिकल्स इंक., कोरिया जनवादी गणराज्य

(ग) मेसर्ज मितुसोई फिनोल सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर

(घ) चेमोइल कार्पोरेशन, कोरिया गणराज्य

(ङ) इनियोस फेनोल जीएमबीएच, जर्मनी

(च) कैमिकल प्वाइंट यूजी, जर्मनी

- (छ) कैमिकल प्वाइंट बेनेलक्स, नीदरलैंड
- (ज) सीइपीएसए मुख्यालय, स्पेन
- (झ) सीइपीएसए क्विमिका बेल्जियम, बेल्जियम
- (ञ) सीइपीएसए क्विमिका नीदरलैंड, नीदरलैंड
- (ट) नोवापैक्स, फ्रांस
- (ठ) डामो कापरोल्यूना जीएमबीएच, जर्मनी
- (ड) स्कई पेट्रो-कैम पीटीई लि, सिंगापुर
- (ढ) ह्यूमेड कार्पोरेशन, कोरिया गणराज्य

(viii) निम्नलिखित निर्यातकों/उत्पादकों/व्यापारियों ने उत्तर दिए हैं तथा निर्यातकों की प्रश्नावलियों के उत्तर भेजे हैं :-

- (क) मेसर्ज एल जी केम लिमिटेड, कोरिया जनवादी गणराज्य
- (ख) मेसर्ज हुंडाई कार्पोरेशन. कोरिया जनवादी गणराज्य
- (ग) मेसर्ज एम. कोर्पोरेशन, कोरिया जनवादी गणराज्य
- (घ) मेसर्ज पेट्रोकेम एशिया प्राईवेट लिमिटेड, सिंगापुर
- (ङ) मितसुई एंड कं. (एशिया पैसिफिक) पीटीई लि., सिंगापुर
- (च) मेसर्ज मित्सुई फिनोल सिंगापुर प्राईवेट लिमिटेड, सिंगापुर
- (छ) मेसर्ज आक्साईड केमिकल्स चाईना लिमिटेड, हांगकांग/चीन
- (ज) मेसर्ज सुमिटोमो कार्पोरेशन एशिया एंड ओसिआना प्राईवेट लिमिटेड
- (झ) मेसर्ज केंको मार्किटिंग इंक., कोरिया जनवादी गणराज्य
- (ञ) मेसर्ज कुम्हो पी. एंड बी. केमिकल्स, कोरिया जनवादी गणराज्य
- (ट) मेसर्ज वूरी पी. एंड सी. कोर्पोरेशन, कोरिया जनवादी गणराज्य
- (ठ) मेसर्ज हुमाडे कार्पोरेशन, कोरिया जनवादी गणराज्य
- (ड) कांटिनेंट इंटरनेशनल लि., हांगकांग
- (ढ) विनमार इंटरनेशनल लि., कोरिया गणराज्य
- (ण) हरेश पेट्रोकेम सिंगापुर पीटीई लि., सिंगापुर
- (त) आईसीसी कैमिकल कार्पोरेशन, यूएसए
- (थ) डिनोविक पीटीई लि., सिंगापुर
- (द) हैजल मिडिल ईस्ट एफजेडई, यूएई
- (ध) इंटेग्रा पेट्रोकेमिकल्स पीटीई लि., सिंगापुर

(ix) पाटन-रोधी नियमावली के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाने के लिए भारत में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को प्रश्नावलियां भेजी गई थीं :-

- (क) मेसर्ज सी. जे. शाह एंड कंपनी
- (ख) मेसर्ज हरेश कुमार एंड कंपनी, मुंबई
- (ग) मेसर्ज पीसीएल ऑयल एंड इंडस्ट्रीज
- (घ) मेसर्ज कांतीलाल मणीलाल एंड कंपनी प्राईवेट लिमिटेड
- (ङ) मेसर्ज सोनकमल इंटरप्राइज, मुंबई
- (च) मेसर्ज खेतान ब्रदर्स
- (छ) मेसर्ज शुभम डाईज एंड केमिकल्स लिमिटेड
- (ज) मेसर्ज एक्रोन इंटरप्राइजिज
- (झ) मेसर्ज नाईकनावरे केमिकल्स लिमिटेड
- (ञ) मेसर्ज पारस डाईज एंड केमिकल्स
- (ट) मेसर्ज टोरेट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, गुजरात
- (ठ) मेसर्ज यूनाईटेड फोस्फोरस लिमिटेड, मुंबई
- (ड) मेसर्ज रेसिन्स एंड प्लास्टिक्स लिमिटेड
- (ढ) मेसर्ज कैलाश पोलिमर्स
- (ण) मेसर्ज सेन्ट्रम मेटेलिक्स प्राईवेट लिमिटेड
- (त) मेसर्ज वंडर्स लेमिनेट्स प्राईवेट लिमिटेड
- (थ) मेसर्ज मेघदेव इंटरप्राइजिज
- (द) मेसर्ज सतगरू इंटरनेशनल
- (ध) मेसर्ज ब्लीच मार्किटिंग प्राईवेट लिमिटेड
- (न) मेसर्ज कार्मेन इंटरनेशनल (प्राईवेट) लिमिटेड
- (न) मेसर्ज हाई पोलिमर लैब्स लिमिटेड
- (प) मेसर्ज रेनबो कलर्स एंड केमिकल्स
- (फ) मेसर्ज कृष्णा एंटीओक्सिडेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
- (ब) मेसर्ज एनजीपी इंडस्ट्रीज लिमिटेड
- (भ) मेसर्ज फार्मसन फार्मास्यूटिकल गुजरात लिमिटेड
- (म) मेसर्ज इंडिया ग्लाइकोल्स लिमिटेड

- (य) मेसर्ज सिंह प्लास्टिसाईजर्स एंड रेसिन्स (इंडिया) प्राईवेट
- (र) मेसर्ज नेशनल प्लाईवुड इंडस्ट्रीज लिमिटेड
- (स) मेसर्ज कुन्दन राईस मिल्स लिमिटेड
- (x) केवल एक आयातक और प्रयोक्ता, संदीप ऑर्गेनिक प्राईवेट लिमिटेड, मुंबई ने जांच शुरूआत करने संबंधी अधिसूचना का उत्तर दिया है।
- (xi) किसी भी आयातक/उपभोक्ता ने आयातकों की प्रश्नावलियों के उत्तर प्रस्तुत नहीं किए हैं।
- (xii) प्राधिकारी ने नियमावली के प्रावधान के अनुसार हितबद्ध पक्षकारों को अपने मौखिक विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान करने के लिए 16 सितंबर, 2015 को एक सार्वजनिक सुनवाई की थी। जिन पक्षकारों ने इस मौखिक सुनवाई में भाग लिया था, उन्हें सलाह दी गई थी कि वे मौखिक रूप से प्रदान की गई अपनी सूचना को लिखित रूप में भी प्रस्तुत करें। हितबद्ध पक्षकारों को, अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों/प्रस्तुत की गई सूचना पर अपने प्रत्युत्तर देने की भी अनुमति दी गई थी। प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों पर उपयुक्त रूप से विचार किया है।
- (xiii) प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रमाणों के अगोपनीय वृत्तान्त को एक सार्वजनिक फाईल के रूप में खुला उपलब्ध करा दिया था ताकि इच्छुक पक्षकार उनका निरीक्षण कर सकें।
- (xiv) हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की गोपनीय के दावों की उनकी पर्याप्तता के संदर्भ में जांच की गई है। प्राधिकारी ने संतुष्ट होने पर जहां कहीं भी उचित था, गोपनीयता के ऐसे दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय समझा है और उसे अन्य पक्षकारों के समक्ष प्रकट नहीं किया है। जहां कहीं भी संभव हुआ है, वहां गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले हितबद्ध पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना का अगोपनीय वृत्तान्त भी प्रस्तुत करें।
- (xv) जितना आवश्यक समझा गया था, उतनी और सूचना, आवेदकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों से मांगी गई थी।
- (xvi) सामान्यतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों (जीएएपी) के आधार पर उत्पादन की लागत और निर्माण लागत तथा घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध वस्तुओं की बिक्रियों के आधार पर गैर-क्षति कीमत का परिकलन किया गया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करने के लिए पाटन मार्जिन से कम पाटन-रोधी शुल्क लगाना पर्याप्त होगा।
- (xvii) मौजूदा जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2014 तक है। तथापि, क्षति का विश्लेषण करने के प्रयोजनार्थ विगत तीन वर्षों अर्थात् वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13 जांच की अवधि (पीओआई) के आंकड़ों पर भी विचार किया गया है।
- (xviii) प्राधिकारी के अनुरोध पर केन्द्रीय सरकार ने इस जांच को पूरा करने के लिए जांच की अवधि को बढ़ा कर 14.01.2016 तक करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है।
- (xix) उपरोक्त नियमावली के नियम 16 के अनुसार इस निर्णय के लिए विचारित अत्यावश्यक तथ्यों/आधार का प्रकटन, ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों के समक्ष दिनांक 06.01.2016 के प्रकटन विवरण द्वारा कर दिया गया था तथा उन पर प्राप्त हुई प्रासंगिक टिप्पणियों पर प्राधिकारी द्वारा विचार किया गया था तथा उनका निदान इस अधिसूचना में किया गया है।
- (xx) इस अंतिम निर्णय में किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा ***सूचना को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत किया गया है तथा नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा उस पर विचार किया गया है।
- (xxi) इस जांच के लिए अपनाई गई औसत विनिमय दर, 1 अमरीकी डालर = 60.85 रुपए है।

ख. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु का कार्य क्षेत्र

घरेलू उद्योग के विचार

4. घरेलू उद्योग द्वारा किए निवेदन निम्नानुसार हैं :-

- (क) विचाराधीन उत्पाद फिनोल है जो कि कोरिया जनवादी गणराज्य, यूरोपीय यूनियन और सिंगापुर मूल के अथवा वहां से निर्यात किए जाते हैं।
- (ख) फिनोल सामान्यतया आर्गेनिक रसायन है जिसे सामान्यतया सीमा शुल्क अधिनियम के अध्याय 29 में वर्गीकृत किया जाता है। इस उत्पाद को बाजार में दो रूप में बेचा जाता है – बल्क और पैकड। बल्क उत्पाद की बिक्रियां सामान्यतया खुले रूप में की जाती हैं जबकि पैकड खेप को काफी छोटे कन्टेनरों में बेचा जा सकती है जो कि सामान्यतया ड्रमों में भरी होती है। फिनोल का उपयोग फिनोल फार्मेलिहाईड रेसिन्स, लेमिनेट्स, प्लाईवोर्ड, पार्टिकल बोर्ड्स, बिस फिनोल-ए, एल्किल फिनोल, फार्मेस्युटिकल्स, डाईफिनेल ऑक्साईड आदि में किया जाता है। इस उत्पाद को सीमाशुल्क शीर्ष संख्या 29071110 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।
- (ग) तथापि, सीमाशुल्क और आईटीसी एचएस का यह वर्गीकरण निर्देशात्मक मात्र है और किसी भी तरह से मौजूदा जांच के कार्यक्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।
- (घ) घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित वस्तुएं, वास्तविक और तकनीकी लक्षणों, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रोद्योगिकी, कार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा शुल्क वर्गीकरण जैसे प्राचलों की दृष्टि से आयातित उत्पाद के समान ही हैं।

अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

5. विचाराधीन उत्पाद और उसके समान वस्तु के संबंध में किसी भी आयातक, उपभोक्ता, निर्यातक और अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा कोई टिप्पणी व्यक्त नहीं की गई है अथवा निवेदन नहीं किया गया है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

6. फिनोल सामान्यतया आर्गेनिक रसायन है जिसे सामान्यतया सीमा शुल्क अधिनियम के अध्याय 29 में वर्गीकृत किया जाता है। इस उत्पाद को बाजार में दो रूप में बेचा जाता है – बल्क और पैकड। बल्क उत्पाद की बिक्रियां सामान्यतया खुले रूप में की जाती हैं जबकि पैकड खेप को काफी छोटे कन्टेनरों में बेचा जा सकती है जो कि सामान्यतया ड्रमों में भरी होती है। फिनोल का उपयोग फिनोल फार्मेलिहाईड रेसिन्स, लेमिनेट्स, प्लाईवोर्ड, पार्टिकल बोर्ड्स, बिस फिनोल-ए, एल्किल फिनोल, फार्मेस्युटिकल्स, डाईफिनेल ऑक्साईड आदि में किया जाता है। इस उत्पाद को सीमाशुल्क शीर्ष संख्या 29071110 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तथापि, सीमा शुल्क का उक्त वर्गीकरण निर्देशात्मक मात्र है और किसी भी तरह से मौजूदा जांच के कार्यक्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

7. समान वस्तु के संबंध में पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (घ) में निम्नानुसार व्यवस्था है:-

“समान वस्तु” से ऐसी वस्तु अभिप्रेत है जो भारत में पाटने के कारण जांच के अंतर्गत वस्तु के सभी प्रकार से समरूप या समान है अथवा ऐसी वस्तु के न होने पर अन्य वस्तु जोकि यद्यपि सभी प्रकार से समरूप नहीं है परंतु जांचाधीन वस्तुओं के अत्यधिक सदृश विशेषताएं रखती हैं;

8. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित और संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तुओं में किसी भी प्रकार की कोई ज्ञात भिन्नता नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित संबद्ध वस्तुएं और संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तुएं वास्तविक और तकनीकी लक्षणों, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रोद्योगिकी, कार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा शुल्क वर्गीकरण जैसे प्राचलों की दृष्टि से एक समान ही हैं। ये दोनों वस्तुएं तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापन योग्य हैं। उपभोक्ता इन दोनों वस्तुओं का उपयोग, आंतरिक रूप से बदलने में करते

है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित संबद्ध वस्तुओं को, पाटन-रोधी नियमावली के अनुसार संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान घरेलू वस्तु के रूप में ही माना जाता है।

घ. घरेलू उद्योग का कार्यक्षेत्र और दर्जा

घरेलू उद्योग के विचार

9. घरेलू उद्योग के विचार निम्नानुसार हैं :-

- (क) याचिका को मेसर्ज हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड और मेसर्ज एस. आई. ग्रुप इंडिया लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया गया है।
- (ख) मेसर्ज हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड और मेसर्ज एस. आई. ग्रुप इंडिया लिमिटेड दोनों ही संबद्ध उत्पाद के घरेलू उत्पादक हैं और इसलिए वे कुल भारतीय घरेलू उत्पादन में 100 प्रतिशत का योगदान देते हैं।
- (ग) याचिकादाता बहुविध उत्पाद कंपनियां हैं।
- (घ) मेसर्ज हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है और न ही वह विचाराधीन उत्पाद के निर्यातकों अथवा आयातकों से संबंधित है।
- (ङ) मेसर्ज एस. आई. ग्रुप इंडिया लिमिटेड ने शुल्क छूट योजना के अंतर्गत तथा सीमा शुल्क का भुगतान करने के बाद संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है। तथापि, ऐसे आयात मुख्यतया निचले स्तर के उत्पादों के उत्पादन के लिए आबद्ध खपत के लिए किए गए हैं। कंपनी विचाराधीन उत्पाद के किसी भी निर्यातक अथवा आयातक से संबंधित नहीं है।
- (च) मेसर्ज एस. आई. ग्रुप इंडिया लिमिटेड ने अधिकतर शुल्क मुक्त आयात किए हैं जो कि मौजूदा जांच से संबद्ध नहीं हैं और ऐसे आयात केवल निर्यात करने के लिए ही किए जाते हैं।

अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

10. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार निम्नानुसार हैं :-

- (क) मेसर्ज एस. आई. ग्रुप इंडिया लिमिटेड एक आयातक है और इसलिए वह घरेलू उद्योग नहीं है। मेसर्ज एस. आई. ग्रुप इंडिया लिमिटेड ने जांच अवधि में संबद्ध वस्तुओं का पर्याप्त आयात किए हैं।
- (ख) मेसर्ज एस. आई. ग्रुप इंडिया लिमिटेड ऐसे आयातों से लाभान्वित हुई है और वह निर्यात बाजार में अपने निचले स्तर के उत्पाद की अपनी प्रतिस्पर्द्धी कीमत को बनाने में सक्षम हुई है। इसलिए उसे "घरेलू उद्योग" के कार्य-क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए।
- (ग) अग्रिम लार्डसेंस योजना के अंतर्गत अत्यधिक आयात करने के कारण मेसर्ज एस. आई. ग्रुप इंडिया लिमिटेड को "घरेलू उद्योग" के कार्य-क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए अथवा अग्रिम लार्डसेंस योजना के अंतर्गत उन्हें स्वतः ही पाटन और क्षति विश्लेषण से बाहर हो जाना चाहिए।

प्राधिकारी द्वारा जांच

11. पाटन रोधी नियमावली का नियम 2 (ख) में घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है :-

"घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में "घरेलू उद्योग" पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।

12. याचिका को मेसर्ज हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड और मेसर्ज एस. आई. ग्रुप इंडिया लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत किया गया है। याचिकादाता भारत में संबद्ध उत्पाद के एक मात्र घरेलू उत्पादक हैं और इसलिए वे कुल भारतीय

उत्पादन में योगदान देते हैं। इसके अतिरिक्त मेसर्ज हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड ने संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है, जबकि मेसर्ज एस. आई. ग्रुप इंडिया लिमिटेड ने शुल्क छूट योजना के अंतर्गत तथा सीमा शुल्क का भुगतान करने के बाद संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है। ये आयात अधिकतर आबद्ध खपत के लिए किए जाते हैं और इस प्रकार ऐसे आयातों का घरेलू बाजार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और इसलिए इनका एस.आई. ग्रुप को घरेलू उद्योग के दर्जे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

13. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मेसर्ज एस. आई. ग्रुप इंडिया लिमिटेड द्वारा किए गए आयात बाजार में उपलब्ध नहीं कराए गए थे। इसलिए प्राधिकारी की यह धारणा है कि एस.आई. ग्रुप द्वारा किए गए आयात से वह घरेलू उद्योग माने जाने के लिए अयोग्य नहीं हो जाता है।

14. दोनों आवेदक विचाराधीन उत्पाद के किसी भी आयातक अथवा निर्यातक से संबंधित नहीं हैं। इस प्रकार यह निर्धारित किया जाता है कि घरेलू उत्पादकों की ओर से प्रस्तुत किया गया आवेदन, पाटन-रोधी नियमावली के नियम 5 के अंतर्गत “दर्जे” की अपेक्षाओं को पूरा करता है। इसके अतिरिक्त मेसर्ज हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड और मेसर्ज एस. आई. ग्रुप इंडिया लिमिटेड दोनों ही पाटन-रोधी नियमावली के नियम 2 (ख) के अनुसार “घरेलू उद्योग” बनते हैं।

ड. विविध मुद्दे

घरेलू उद्योग के विचार

15. घरेलू उद्योग के विचार निम्नानुसार हैं :-

- (क) वर्तमान संबद्ध देशों से संबंधित मध्यावधि पुनरीक्षा में पाटन-रोधी शुल्क रद्द कर दिया गया था जब कि कीमत के सभी प्राचलों ने सुधार दर्शाया था। तथापि, मौजूदा मामले में यह पूर्णतया स्पष्ट है कि लाभ, आरओसीई और नकद लाभ में गिरावट आई है, जिसके लिए पाटित आयात जिम्मेवार हैं।

अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

16. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार निम्नानुसार हैं :-

- (क) मध्यावधि पुनरीक्षा जांच के फलस्वरूप मौके पर जांच करने पर पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिया गया था। घरेलू उद्योग ने मध्यावधि पुनरीक्षा जांच के अंतिम परिणाम को उस समय चुनौती नहीं दी थी और उन्हें इस चरण में ऐसे प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
- (ख) याचिकादाताओं ने एक दशक से अधिक अवधि से पाटन-रोधी शुल्कों पर अत्यधिक विश्वास किया है। बीआईएफआर ने मेसर्ज हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड को एसआईसीए के अंतर्गत रूग्ण कंपनी के बतौर वर्गीकृत किया है और यह लगभग एक दशक से अभी भी रूग्ण कंपनी ही बनी हुई है।
- (ग) सुरक्षा जांच में प्रस्तुत की गई समायोजन योजनाओं के बावजूद भी याचिकादाता की क्षमता अभी भी वहीं बनी हुई है, जहां यह वर्ष 1999 में थी।

प्राधिकारी द्वारा जांच

17. इस तर्क के संबंध में कि मेसर्ज हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड का फिनोल संयंत्र विगत में बंद कर दिया गया है और उसे पहले से ही एक रूग्ण उद्योग घोषित किया गया है तथा वह सरकार से अनुचित संरक्षण प्राप्त कर रहा है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि मौजूदा स्थिति, पाटन-रोधी विधि के अधिकार-क्षेत्र के भीतर आती है। प्राधिकारी कानूनी अपेक्षाओं का अनुसरण करने के बाद ही किसी प्रकार के उपाय अथवा शुल्क की सिफारिश करते हैं। इतिहास की ओर ध्यान दिए बिना प्रत्येक मामले की जांच, जांच की नई अवधि के लिए उसके गुणावगुण के आधार पर ही की जाती है।

च. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत तथा पाटन मार्जिन का निर्धारण**घरेलू उद्योग के विचार**

18. घरेलू उद्योग के विचार निम्नानुसार हैं :-

- (क) ऐसी सूचना प्राप्त करने के लिए प्रयास किए गए थे कि निर्यातकों और उत्पादकों द्वारा अपने संबंधित घरेलू बाजारों में किस कीमत पर फिनोल को बेचा जा रहा है। इसके अतिरिक्त संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के उत्पादकों की कीमत सूचियों अथवा दरों को प्राप्त करने के भी प्रयास किए गए थे। तथापि, चूंकि ऐसा उत्पाद सामान्यतया फुटकर स्तर पर नहीं बेचा जाता है, इसलिए घरेलू उद्योग को ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं हो सकी थी। इसलिए संबद्ध देशों के लिए सामान्य मूल्य संरचित किया गया है।
- (ख) उत्पादन की लागत का निर्धारण, क्षेत्र में प्रचलित प्लेट्स रिपोर्ट में यथा सूचित बनेजीन की कीमतों को ध्यान में रख कर किया गया है। विद्युत की लागत को प्रभावी लागत के रूप में लिया गया है तथा अन्य परिवर्तन लागत को घरेलू उद्योग के अनुसार लिया गया है।
- (ग) निर्यात कीमत का निर्धारण, उचित समायोजन करने के बाद विचाराधीन उत्पाद की भारित औसत आयात कीमत के बतौर किया गया है।
- (घ) पाटन मार्जिन का परिकलन सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के आधार पर किया जाता है और यह पर्याप्त है।

अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

19. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार निम्नानुसार हैं :-

- (क) क्षति मार्जिन का परिकलन निराधार है और इसे अस्वीकार किया जाता है।
- (ख) याचिकादाताओं द्वारा आरोपित पहुंच मूल्य, सिंगापुर से आयातों के लिए पहुंच कीमत का परिचायक नहीं है।
- (ग) याचिकादाताओं ने ऐसे कोई वास्तविक आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए हैं जो कि सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के संबंध में उनके प्रमाण के सहायक हों, जबकि निर्यातकों ने विस्तृत सूचना प्रदान की है। इसलिए प्राधिकारी पाटन मार्जिन का परिकलन करने के लिये निर्यातकों द्वारा प्रदत्त सूचना पर विचार कर सकते हैं।
- (घ) भारत में मेसर्स कुम्हो पी. एंड बी. की बिक्री की कीमत, घरेलू बाजार की बिक्री कीमत से बहुत अधिक नहीं है, लेकिन जब इसकी तुलना भारत में अन्य वैश्विक निर्यातकों से की जाती है तो यह सर्वाधिक भी है।
- (ङ) मेसर्स कुम्हो पी. एंड बी. ने सभी उत्तर दिए हैं और उसे प्राधिकारी द्वारा किसी भी प्रकार की कमी होने अथवा स्पष्टीकरण देने के बारे में कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है अथवा घरेलू उद्योग की कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए इस संबंध में मेसर्स कुम्हो पी. एंड बी. पूरा सहयोग दे रहा है।
- (च) मेसर्स कुम्हो पी. एंड बी. की मासिक पाटन मार्जिन निर्धारण करने पर भी कोई आपत्ति नहीं है।
- (छ) मेसर्स कुम्हो पी. एंड बी. कभी भी किसी भी आधार पर किसी भी प्रकार का पाटन करने में संलिप्त नहीं रहा है।
- (ज) मेसर्स कुम्हो पी. एंड बी. द्वारा किए गए कुछ कारोबार, प्राधिकारी के पूर्व मामले में एमटीआर सहित उनकी स्थापित पद्धतियों और पूर्वदृष्टान्तों के अनुसार डीएम निर्धारण के लिए परिचायक हैं।
- (झ) एडीए अथवा अन्य प्रमुख विधिशास्त्र में स्थापित पद्धतियों के अनुसार संपूर्ण निर्यात कारोबार श्रृंखला की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त मेसर्स कुम्हो ने फिनोल की जांच अवधि के दौरान भारत में केपीबी उत्पाद के कुछ निर्यातों के संबंध में संपूर्ण कारोबार श्रृंखला प्रदान कर दी है।

- (ज) शुल्क वापस लेने के संबंध में घरेलू उद्योग के निवेदन को स्वीकार नहीं किया जाए।
- (ट) मेसर्स एल.जी. केम ने सीधे निर्यात किए हैं और ऐसे निर्यात गैर-संबंधित व्यापारियों के माध्यम से किए गए हैं। सभी व्यापारियों ने मूल्य श्रृंखला को पूरा करने के लिए निर्यातक की प्रश्नावलियों के प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर दिए हैं। ऐसा निर्यात की सामान्य मात्रा होने और भारतीय बाजार में कोई हित नहीं होने के बावजूद हुआ है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

20. धारा 9(1) (ग) के अधीन, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है :-

- (i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा
- (ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:
- (क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो, अथवा
- (ख) मूलता के देश में उक्त वस्तु के उत्पादन की लागत तथा प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागतों और लाभों के लिए तर्कसंगत अभिवृद्धि उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गये नियमों के अनुसार यथा निर्धारित की गई है।

21. इस निवेदन के संबंध में कि प्रत्येक सहयोगी गैर-संबद्ध उत्पादक/व्यापारी समूह के लिए पृथक रूप से पृथक पाटन/क्षति मार्जिन का निर्धारण किया जाना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि मौजूदा जांच में पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का निर्धारण, इस संबंध में नियमावली और पाटनरोधी और संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा स्थापित पद्धति के अनुसार ही किया जाता है।

22. इस तर्क के संबंध में कि कोरिया जनवादी गणराज्य से आयातों के कुछ कारोबारों को घरेलू उद्योग को क्षति होना नहीं माना जा सकता है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उन्होंने संबद्ध शीर्षों के अंतर्गत क्षति का विश्लेषण पृथक रूप से किया है।

23. पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के मासिक आधार पर निर्धारण के अनुरोध के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि कच्ची सामग्रियों की कीमतों में अस्थिरता को ध्यान में रखते हुए संगत आकड़ों का विश्लेषण मासिक आधार पर किया गया है।

24. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों को प्रश्नावलियां भेजी और उनसे विहित प्रपत्र और ढंग से सूचना प्रस्तुत करने की सलाह दी। संबद्ध देशों के उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्यातक प्रश्नावली की उत्तर प्रस्तुत किया है।

-मेसर्स एल जी केम लिमिटेड, कोरिया जनवादी गणराज्य

-मेसर्स हुंडाई कार्पोरेशन, कोरिया जनवादी गणराज्य

-मेसर्स एम. कोर्पोरेशन, कोरिया जनवादी गणराज्य

-मेसर्स पेट्रोकेम एशिया प्राईवेट लिमिटेड, सिंगापुर

-मेसर्स मित्सुई एंड कंपनी (एशिया पेसिफिक) प्राईवेट लिमिटेड, सिंगापुर

- मेसर्ज मित्सुई फिनोल्स सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर
- मेसर्ज आक्सार्ड केमिकल्स चाईना लिमिटेड, हांगकांग/चीन
- मेसर्ज सुमिटोमो कार्पोरेशन एशिया एंड ओसिआना प्राइवेट लिमिटेड
- मेसर्ज केंको मार्किटिंग इंक., कोरिया जनवादी गणराज्य
- मेसर्ज कुम्हो पी. एंड बी. केमिकल्स, कोरिया जनवादी गणराज्य
- मेसर्ज वूरी पी. एंड सी. कोर्पोरेशन, कोरिया जनवादी गणराज्य
- मेसर्ज हुमाडे कार्पोरेशन, कोरिया जनवादी गणराज्य
- कांटिनेंट इंटरनेशनल लि., हांगकांग
- विनमार इंटरनेशनल लि., कोरिया गणराज्य
- हर्श पेट्रोकेम सिंगापुर पीटीई लि., सिंगापुर
- आईसीसी कैमिकल कार्पोरेशन, यूएसए
- डिनोविक पीटीई लि., सिंगापुर
- हैजल मिडिल ईस्ट एफजेडई, यूएई
- इंटेग्रा पेट्रोकेमिकल्स पीटीई लि., सिंगापुर

कोरिया गणराज्य के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण

कोरिया गणराज्य से उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य

25. में. एलजी कैम ने उत्तर दिया है और विहित प्रपत्र में सूचना प्रदान की है। प्रतिवादी की उत्पादन लागत की तुलना सौदावार घरेलू बिक्रियों के साथ की गई है और यह पाया गया कि अधिकांश महीनों में 80 प्रतिशत से अधिक बिक्रियां लाभप्रद थीं। अतः जहां भी 80 प्रतिशत से अधिक बिक्रियां लाभप्रद रही हैं, प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य का निर्धारण कुल बिक्रियों के आधार पर किया है। दावे के अनुसार अंतर्देशीय भाड़े और ऋण लागत के लिए समायोजन किये गये हैं। तदनुसार, घरेलू बिक्री कीमत के आधार पर ज्ञात किए गए प्रस्तावित सामान्य मूल्य को पाटन मार्जिन तालिका में नीचे दर्शाया गया है।

में. कुम्हो पीएंडबी कैमिकल्स इंक, कोरिया गणराज्य (उत्पादक)

26. में. कुम्हो पी एंड बी कैमिकल्स ने उत्तर दिया है और विहित प्रपत्र में सूचना प्रदान की है। प्रतिवादी की उत्पादन लागत की तुलना सौदावार घरेलू बिक्रियों के साथ की गई है और यह पाया गया कि कंपनी ने भारत को जाँच अवधि के केवल दो महीनों में निर्यात किया है और 80 प्रतिशत से कम बिक्रियां लाभप्रद थीं। अतः प्राधिकारी ने कुल लाभप्रद बिक्रियों के आधार पर ही सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है। दावे के अनुसार अंतर्देशीय भाड़े और ऋण लागत के लिए समायोजन किये गये हैं। तदनुसार, घरेलू बिक्री कीमत के आधार पर ज्ञात किए गए प्रस्तावित सामान्य मूल्य को पाटन मार्जिन तालिका में नीचे दर्शाया गया है।

कोरिया गणराज्य से सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य

27. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कोरिया गणराज्य से किसी अन्य उत्पादक निर्यातक ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है। इसलिए कोरिया गणराज्य से सहयोगी उत्पादक के लिए यथा निर्धारित सामान्य मूल्य को उपलब्ध तथ्यों के आधार पर कोरिया गणराज्य से उत्पादकों/निर्यातकों के लिए अपनाया गया है। तदनुसार इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य को पाटन मार्जिन तालिका में नीचे दर्शाया गया है।

सिंगापुर के सामान्य मूल्य का निर्धारण**सिंगापुर से सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य****मै. मितसुइ फेनोल्स सिंगापुर पीटीई लि., सिंगापुर (उत्पादक)**

28. मै. मितसुइ फेनोल्स सिंगापुर पीटीई लि. ने उत्तर दिया है और विहित प्रपत्र में सूचना प्रदान की है। प्रतिवादी की उत्पादन लागत की तुलना सौदावार घरेलू बिक्रियों के साथ की गई है और यह पाया गया कि अधिकांश महीनों में 80 प्रतिशत से अधिक बिक्रियां लाभप्रद थीं। अतः जहां भी 80 प्रतिशत से अधिक बिक्रियां लाभप्रद रही हैं, प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य का निर्धारण कुल बिक्रियों के आधार पर किया है। तथापि एक माह विशेष में जिसमें 80 प्रतिशत से कम बिक्रियां लाभप्रद रही थीं, उसमें प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य का निर्धारण केवल लाभप्रद बिक्रियों के आधार पर किया है। इसके अलावा जाँच अवधि के एक माह के दौरान लाभप्रद बिक्रियां न्यूनतम थीं और इसलिए उस माह के लिए सामान्य मूल्य को उस माह की बिक्री लागत और तर्कसंगत लाभ के आधार पर किया गया है। दावे के अनुसार अंतर्देशीय भाड़े और ऋण लागत के लिए समायोजन किये गये हैं। तदनुसार, घरेलू बिक्री कीमत के आधार पर ज्ञात किए गए प्रस्तावित सामान्य मूल्य को पाटन मार्जिन तालिका में नीचे दर्शाया गया है।

सिंगापुर से असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य

29. प्राधिकारी नोट करते हैं कि सिंगापुर के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है। इसलिए सिंगापुर के सहयोगी उत्पादक के लिए यथा निर्धारित सामान्य मूल्य को सिंगापुर से असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए अपनाया गया है। तदनुसार इस प्रकार निर्धारित प्रस्तावित सामान्य मूल्य को पाटन मार्जिन तालिका में नीचे दर्शाया गया है।

कोरिया गणराज्य के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण**कोरिया गणराज्य से सहयोगी उत्पादक/निर्यातक के लिए निर्यात कीमत****मै. एलजी कैम लि., कोरिया गणराज्य (उत्पादक)**

30. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मै. एलजी कैम लि. कोरिया गणराज्य (उत्पादक) ने सीधे और अपने असंबंधित व्यापारियों/निर्यातकों अर्थात् विनमार इंटरनेशनल लि. यूएसए, हरेश पेट्रोकेम सिंगापुर पीटीई लि., सिंगापुर, एम कार्पो., ह्यूंडे कार्पोरेशन, कोरिया गणराज्य, आईसीसी कैमिकल कार्पो., यूएसए, केमपार एनर्जी पीटीई लि., सिंगापुर, डिनोविक पीटीई लि., सिंगापुर, हैजन मिडिल ईस्ट एफजेडई, यूईई, इंटेग्रा पेट्रोकेमिकल्स पीटीई लि., सिंगापुर, कांटेनेंट इंटरनेशनल लि. हांगकांग और आक्साइड कैमिकल्स चाइना लि. हांगकांग के जरिए संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। इन व्यापारियों/निर्यातकों ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है परंतु एम कार्पो. का प्रश्नावली का उत्तर अधूरा पाया गया और इसलिए उस पर विचार नहीं किया गया। मै. एलजी कैम लि., कोरिया गणराज्य ने ***एमटी संबद्ध वस्तु का कुल निर्यात किया है जिसमें से ***एमटी कंपनी द्वारा सीधे निर्यात किया गया है और *** एमटी मै. एम कार्पो. को छोड़कर ऊपर उल्लिखित असंबद्ध सहयोगी व्यापारियों/निर्यातकों के जरिए निर्यात किया गया है। उत्पादक और व्यापारियों/निर्यातकों द्वारा दावा किए गए समायोजनों यथा निरीक्षण शुल्क, अंतर्राष्ट्रीय भाड़ा, ब्याज, निकासी और संभलाई प्रभार, बैंक प्रभार जहां लागू हो पर निवल निर्यात कीमत के निर्धारण के लिए विचार किया जा रहा है। मै. एलजी कैम लि., कोरिया गणराज्य (उत्पादक) और उसके असंबद्ध सहयोगी व्यापारी/निर्यातकों के लिए इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात कीमत को नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

मै. कुम्हो पीएंडबी कैमिकल्स इंक, कोरिया गणराज्य (उत्पादक)

31. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मै. कुम्हो पीएंडबी कैमिकल्स इंक, कोरिया गणराज्य (उत्पादक) ने अपने असंबंधित व्यापारियों/निर्यातकों अर्थात् ह्यूमेड कार्पो. कोरिया गणराज्य, वूरी पीएंडबी कार्पोरेशन, कोरिया गणराज्य और केंको मार्केटिंग इंक, कोरिया गणराज्य के जरिए संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। इन व्यापारियों/निर्यातकों ने

निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया। मै. कुम्हो पीएंडबी कैमिकल्स इंक, कोरिया गणराज्य ने ऊपर उल्लिखित असंबद्ध सहयोगी व्यापारियों/ निर्यातकों के जरिए *** एमटी संबद्ध वस्तु का कुल निर्यात किया है जिसमेंसे ***एमटी कंपनी द्वारा सीधे निर्यात किया गया है और *** एमटी मै. एम कार्पो. को छोड़कर निर्यात किया गया है। उत्पादक और व्यापारियों/निर्यातकों द्वारा दावा किए गए समायोजनों यथा पैकिंग व्यय, अंतर्देशीय भाड़ा, निरीक्षण शुल्क, अंतर्राष्ट्रीय भाड़ा, ऋण लागत, बैंक प्रभार और शुल्क प्रतिआहरण, जहां लागू हो पर निवल निर्यात कीमत के निर्धारण के लिए विचार किया जा रहा है। मै. कुम्हो पीएंडबी कैमिकल्स इंक, कोरिया गणराज्य (उत्पादक) और उसके असंबद्ध सहयोगी व्यापारी/निर्यातकों के लिए इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात कीमत को नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

कोरिया गणराज्य के असहयोगी निर्यातक

32. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कोरिया गणराज्य के किसी अन्य निर्यातक/उत्पादक ने वर्तमान जाँच में उत्तर नहीं दिया है। अतः प्राधिकारी सर्वोत्तम उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निवल निर्यात कीमत निर्धारित करने की कार्यवाही करते हैं। तदनुसार, इस प्रकार निर्धारित प्रस्तावित निर्यात कीमत नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाई गई है।

सिंगापुर से सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

मै. मितसुइ फेनोल्स सिंगापुर पीटीई लि., सिंगापुर (उत्पादक)

33. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मै. मितसुइ फेनोल्स सिंगापुर पीटीई लि., सिंगापुर (उत्पादक) ने एक संबंधित और सहयोगी व्यापारी/निर्यातक अर्थात् मै. मितसुइ एंड कं. (एशिया पैसिफिक) पीटीई लि., सिंगापुर (***एमटी) और असंबंधित और सहयोगी व्यापारी/निर्यातकों अर्थात् मै. सुमितोमो कार्पो. एशिया एंड ओसियाना प्रा. लि. और पेट्रोकेम एशिया पीटीई लि., सिंगापुर (***एमटी) के जरिए कुल *** एमटी संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। इन व्यापारियों/निर्यातकों ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है। उत्पादक और व्यापारियों/निर्यातकों द्वारा दावा किए गए समायोजनों यथा बैंक प्रभार आदि, जहां लागू हो, पर निवल निर्यात कीमत के निर्धारण के लिए विचार किया जा रहा है। मै. मितसुइ फेनोल्स सिंगापुर पीटीई लि., सिंगापुर (उत्पादक) और उसके असंबद्ध सहयोगी व्यापारी/निर्यातकों के लिए इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात कीमत को नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

सिंगापुर से असहयोगी निर्यातक

34. प्राधिकारी नोट करते हैं कि सिंगापुर के किसी अन्य निर्यातक/उत्पादक ने वर्तमान जाँच में उत्तर नहीं दिया है। अतः प्राधिकारी सर्वोत्तम उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निवल निर्यात कीमत निर्धारित करने की कार्यवाही करते हैं। तदनुसार, इस प्रकार निर्धारित प्रस्तावित निर्यात कीमत नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाई गई है।

यूरोपीय संघ (ईयू) के उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण

35. ईयू के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने प्रश्नावली का उत्तर देकर प्राधिकारी से सहयोग नहीं किया है। विधिक उपबंध के अनुसार, प्राधिकारी के लिए ईयू में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए उत्पाद की उस बिक्री कीमत पर विचार करना अपेक्षित है जो ईयू के घरेलू बाजार में खपत के लिए हो। याचिकाकर्ता ने आईसीआईएस में प्रकाशित संबद्ध वस्तु की कीमत के आधार पर ईयू में सामान्य मूल्य का ब्यौरा प्रदान किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि ईयू के किसी उत्पादक द्वारा विहित ढंग और तरीके से किसी उत्तर के अभाव में, ईयू के किसी उत्पादक के प्रश्नावली के उत्तर के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है। अतः प्राधिकारी ने बल्क फेनोल के लिए आईसीआईएस कीमतों के आधार पर ईयू में सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। पैकड फेनोल के लिए घरेलू उद्योग पर आधारित पैकिंग लागत को अपनाया गया है। तदनुसार, इस प्रकार निर्धारित प्रस्तावित सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

यूरोपीय संघ (ईयू) के उत्पादकों/निर्यातकों के लिए के लिए निर्यात कीमत

36. चूंकि ईयू से किसी निर्यातक ने प्राधिकारी को उत्तर नहीं दिया है, इसलिए प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर ईयू से आयातों के संबंध में निर्यात कीमत निर्धारित की है। प्राधिकारी ने डी जी सी आई एंड एस से सौदावार आयात आकड़े प्राप्त किये और उन पर विचार किया और ईयू से भारत में विचाराधीन उत्पाद के सभी आयातों पर विचार करते हुए निर्यात कीमत निर्धारित की। याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग द्वारा दावा किए गए अंतर्देशीय भाड़ा, समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, बैंक प्रभार और पत्तन व्यय के लिए कीमत समायोजनों की ईयू से निर्यातकों के असहयोग के कारण अनुमति दी गई है। कारखाना-द्वार स्तर पर निर्धारित प्रस्तावित निर्यात कीमत नीचे तालिका में दी गई है।

पाटन मार्जिन तालिका

37. ऊपर यथा निर्धारित सामान्य मूल्यों और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए, संबद्ध देशों से उत्पादकों/निर्यातकों के लिए प्रस्तावित पाटन मार्जिन निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:

देश	उत्पादक/निर्यातक	सामान्य मूल्य अम.डा./एमटी	निवल निर्यात कीमत अम.डा./एमटी	पाटन मार्जिन अम.डा./एमटी	पाटन मार्जिन (%)	पाटन मार्जिन (%)	
कोरिया गणराज्य	मै. एलजी कैम लि. कोरिया गणराज्य (उत्पादक) और विनमार इंटरनेशनल लि. यूएसए, हरेथ पेट्रोकेम सिंगापुर पीटीई लि., सिंगापुर, एम कार्पो., ह्यूंडे कार्पोरेशन, कोरिया गणराज्य, आईसीसी कैमिकल कार्पो., यूएसए, केमपार एनर्जी पीटीई लि., सिंगापुर, डिनोविक पीटीई लि., सिंगापुर, हैजन मिडिल ईस्ट एफजेडई, यूएई, इंटेग्रा पेट्रोकेमिकल्स पीटीई लि., सिंगापुर, कांटेनेंट इंटरनेशनल लि. हांगकांग और आक्साइड कैमिकल्स चाइना लि. हांगकांग (निर्यातक)	***	***	***	***	(-)	
	मै. कुम्हो पीएंडबी कैमिकल्स इंक, कोरिया गणराज्य (उत्पादक) और ह्यूमेड कार्पो. कोरिया गणराज्य, वूरी पीएंडसी कार्पोरेशन, कोरिया गणराज्य और केंको मार्केटिंग इंक, कोरिया गणराज्य(निर्यातक)	***	***	* *	***	(-)	(-ve)
	कोई अन्य समूह	***	***	***	***	0-10	0-10%
सिंगापुर	मै. मितसुई फेनोल्स सिंगापुर पीटीई लि., सिंगापुर (उत्पादक) और मै. मितसुई एंड कं. (एशिया पैसिफिक) पीटीई लि., सिंगापुर, हरेथ पेट्रोकेम सिंगापुर पीटीई लि., सिंगापुर, मै. सुमितोमो कार्पो. और एशिया एंड ओसियाना प्रा. लि. और पेट्रोकेम एशिया पीटीई लि., सिंगापुर (निर्यातक)	***	***	***	***	0-10	0-10%
	कोई अन्य समूह	***	***	***	***	10-20	1 -20%
यूरोपीय	सभी उत्पादक और निर्यातक	***	***	***	***	65-75	65-75%

छ. क्षति का मूल्यांकन**घरेलू उद्योग के विचार**

38. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं :-

- (क) पहले अनन्तिम आंकड़ों की तुलना में उपलब्ध वास्तविक आंकड़ों के अनुसार लागत के आंकड़ों को अद्यतन बना लिया गया है।
- (ख) आंकड़ों से पता चलता है कि संबद्ध देशों से आयातों के कारण पाटन बढ़ गया है।
- (ग) क्षति संबंधी सूचना व्यवहार्य स्तर तक पृथक् हो गई है।
- (घ) उपयुक्त संचयी मूल्यांकन कर लिया गया है।
- (ङ) विचाराधीन उत्पाद की मांग में निरंतर वृद्धि हुई है, जब कि घरेलू उद्योग की बिक्री में गिरावट आई है। जांच की अवधि में संबद्ध देशों से आयातों में विशेष वृद्धि हुई है।
- (च) पूर्णरूपेण वृद्धि होने के अतिरिक्त उत्पादन और खपत के प्रसंग में आयातों में वृद्धि हुई है।
- (छ) समस्त क्षति अवधि में संबद्ध देशों से आयातों के बाजार के हिस्से में निरंतर उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जब कि घरेलू उद्योग के बाजार के हिस्से में गिरावट आई है।
- (ज) कीमतों में उल्लेखनीय कटौती होने के साथ-साथ कीमत ह्रास हुआ है।
- (झ) एनआईपी और आयात की पहुंच कीमत के बीच तुलना करने से ऐसा पता चलता है कि घरेलू उद्योग की कीमतों की तुलना में आयात से कम कीमत पर बिक्री हो रही है।
- (ञ) उत्पादन, क्षमता उपयोग, घरेलू बिक्रियों, लाभप्रदता, पीवीआईटी, नकद लाभ, लाभ, नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ, बाजार के हिस्से, रोजगार और उत्पादकता के रूप में घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट आई है।
- (ट) मांग सूचियों में गिरावट आई है। तथापि, ऐसी गिरावट मुख्यतया घरेलू उद्योग के एक भागीदार द्वारा उत्पादन को बंद करने के कारण आई है।
- (ठ) विभिन्न प्राचलों के कारण उन्नति में भी मंदी आई है।

अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

39. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं :-

- (क) याचिका में अनेक असंगतियां हैं जिनसे क्षति और पाटन मार्जिन का परिकलन करने पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। याचिका के विभिन्न पृष्ठों पर प्रतिकूल पाटन मार्जिन दर्शाया गया है। कीमत के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए आयातों के लिए तीन विभिन्न पहुंच कीमतों का प्रयोग किया गया है। कीमत में कटौती, एक स्थान पर 0-10 की सीमा में और दूसरे स्थान पर 6-10 की सीमा में दर्शाई गई है। आयात की मात्रा और मूल्य के आंकड़े भी सुसंगत नहीं हैं।
- (ख) कारण-कार्य-संबंध में घोर विच्छेदन हुआ है। जब आयात की कीमतें बढ़ी हैं तो याचिकादाता की कीमत में गिरावट आई है और इसलिए इनके बीच कोई परस्पर संबंध नहीं है। यहां तक कि आयात कीमतों के स्थिर बने रहने पर भी लाभप्रदता में निरंतर गिरावट आई है।
- (ग) एचओसीएल को हुई क्षति होने के अन्य कारक हैं, जैसे कि आंतरिक कमियां, बाजार के साथ विकास करने में अक्षमता, उत्पादन सुविधा अथवा प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का कोई सुधार करने में विफलता। इसलिए क्षति के लिए संबद्ध आयातों को ही जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।
- (घ) क्षति के मार्जिन का परिकलन निराधार है और उसे अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए।

- (ङ) याचिकादाताओं द्वारा आरोपित पहुंच कीमत, सिंगापुर से आयातों के लिए पहुंच कीमत का परिचायक नहीं है।
- (च) विभिन्न गैर-जिम्मेदार कारण विद्यमान हैं। एचओसीएल को हाल ही में उसके संयंत्र के बंद होने की घोर समस्या का सामना करना पड़ा है। कार्यशील पूंजी की अत्यधिक कमी होने के फलस्वरूप उसका उत्पादन रुक गया। बिक्रियों की लागत, बिक्री कीमत तथा लाभ और हानि होने के संबंध में असंगति व्याप्त है।
- (छ) संबद्ध आयात क्षति नहीं पहुंचा रहे हैं क्योंकि वे ऐसे कुल आयातों के 50 प्रतिशत से भी कम हैं, जिनकी जांच हो रही है अथवा जिन पर शुल्क लग रहा है।
- (ज) क्षति के ऐसे नए आंकड़े मंगाने चाहिए जिनमें एस. आई. ग्रुप के आंकड़ें और अग्रिम लाईसेंस आयातों के आंकड़े शामिल नहीं हों।
- (झ) याचिकादाताओं ने दावा तो किया है लेकिन जहां कहीं भी सूचना उपलब्ध नहीं हुई है, वहां न्यूनतम समूह के उत्पादों के लिए आंकड़े प्रदान करके ऐसी सूचना को पृथक नहीं किया है। याचिकादाताओं से अनुरोध किया जाना चाहिए कि वे ऐसे क्षेत्रों और प्राचलों को अभिज्ञात करें जहां ऐसे आंकड़ों का द्विशाखन करना संभव नहीं हो पाया है।
- (ञ) याचिकादाताओं के संचयी मूल्यांकन करने के दावे को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा दावा वास्तविक विश्लेषण के बिना किया गया है।
- (ट) संयंत्र के बंद हो जाने के कारण उत्पादन में गिरावट आने के कारण बिक्रियां कम हुई हैं। संबद्ध देशों से आयातों और घरेलू उद्योग की बिक्रियों के बीच कोई पारस्परिक संबंध नहीं है।
- (ठ) आयातों में वृद्धि बाजार की दशाओं द्वारा अवक्षेपित है।
- (ड) विगत दस वर्षों में याचिकादाताओं की क्षमता में नगण्य वृद्धि होने के कारण उनके बाजार के हिस्से गिरावट होने की प्रवृत्ति दर्शाना स्वभाविक है, भले ही उनकी 100% क्षमता का उपयोग हो रहा हो।
- (ढ) याचिका और लिखित निवेदनों में कीमत में कटौती होना असंगत है और इसलिए उसको माना नहीं जा सकता है। याचिकादाताओं ने जांच अवधि के पश्चात पहुंच मूल्य के लिए आंकड़े इसलिए नहीं दिए हैं क्योंकि उनसे नकारात्मक कीमत कटौती का पता चल सकता था।
- (ण) कीमत में ह्रास होने के लिए अन्य कारक जिम्मेदार थे और यह इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि पहुंच कीमत उत्पादन की लागत से कम थी। बिक्री की कीमत में वृद्धि होने की दर से आयात में वृद्धि की दर परिलक्षित नहीं होती है।
- (त) याचिकादाताओं ने कम कीमत पर बिक्री होने को सिद्ध करने के लिए विगत वर्षों के आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए हैं, जिसके कारण ऐसा विश्लेषण निरर्थक हो जाता है। तथापि, कम कीमत पर बिक्री होने का कारण याचिकादाताओं की अपने उत्पादों को ऐसी कीमत पर बेचने में विफलता है, जिन कीमतों पर निर्यातकों द्वारा बेचा जाता है और इस प्रकार वे अपनी संबद्ध वस्तुओं को कम कीमत पर ही बेचते हैं।
- (थ) ऐसा कोई प्रमाण विद्यमान नहीं है जिससे पता चलता हो कि आयातों में वृद्धि होने के कारण घरेलू उद्योग को प्रभावित करने वाले आर्थिक प्राचलों में गिरावट आई है।
- (द) आयात कीमत और लाभप्रदता के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है क्योंकि दोनों ही विपर्यय संबंध दर्शा रहे हैं।
- (घ) वेतन में अत्यधिक गिरावट आई है जिसका कारण कर्मचारियों की उत्पादकता है। इसलिए रोजगार में गिरावट आने का कारण यह है कि कंपनी स्वतः ही सुस्थिर रहने में अक्षम है।
- (न) मांगसूचियों में प्रत्यक्षतः गिरावट आई है।
- (प) निर्यातकों ने इस जांच में पूरा सहयोग दिया है और तदनुसार उनके लिए पृथक विशेष मार्जिन स्वीकृत किया जाना चाहिए।

- (फ) भारत में के.पी.बी की बिक्री की कीमत, न केवल घरेलू बाजार में बिक्री कीमत और उत्पादन लागत से अत्यधिक है, बल्कि यह भारत में अन्य वैश्विक निर्यातकों की कीमतों की तुलना में भी सर्वाधिक है।
- (ब) घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री की मात्रा से ऐसा पता नहीं चलता है कि उसको आयातों के कारण किसी प्रकार की कोई क्षति हुई है।
- (भ) मांग की तुलना में घरेलू उद्योग की उत्पादन क्षमता बहुत कम है।
- (म) क्षति विश्लेषण में तथ्यात्मक त्रुटियाँ हैं।
- (य) गैर-क्षति कीमत का परिकलन करने के लिए विद्यमान विधि का अनुपालन किया जाना चाहिए।
- (र) कोई कारणात्मक संबंध नहीं है। आयातों के बाजार के हिस्से में वृद्धि, घरेलू उत्पादन में तदनुरूपी वृद्धि किए बिना बिना भारत में घरेलू खपत के दुगुने से भी अधिक होने के कारण हुई है।
- (ल) कुम्हो द्वारा क्षति होने का कोई खतरा नहीं है क्योंकि उसके पास पर्याप्त घरेलू और तृतीय देश की बिक्रियाएँ हैं और उसके पास कोई बेशी नहीं है। इसके अतिरिक्त के.पी.बी अपने ऐसे निजी बीपीए उत्पादन में निरंतर वृद्धि करने के लिए संग्रहीत फिनोल का प्रयोग कर रहा है, जो कि कोरिया और तृतीय देशों के निर्यात बाजारों में अच्छी तरह से प्रयुक्त हो रहा है।
- (व) कुम्हो ऐसी क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं है। कुम्हो द्वारा कोई पाटन नहीं किया जा रहा है और न ही उसके कारण कम कीमत पर बिक्री हो रही है, कीमत ह्रास, कीमत में कटौती अथवा न्यूनीकरण हो रहा है, जैसा कि कुम्हो पर आरोप लगाया जा रहा है।
- (कक) सूचित पहुंच मूल्य में वृद्धि होने से घरेलू उद्योग द्वारा कीमत में वृद्धि होने को स्वीकार करना मात्र ही, कीमत में कटौती होने और किसी प्रकार का कारणात्मक संबंध होने जैसे दोनों आरोपों को खंडित करने के लिए पर्याप्त है।
- (खख) घरेलू उद्योग की क्षमता स्थिर बनी हुई है। पाटन-रोधी शुल्क लगाया जाना निचले स्तर के उद्योगों और उपभोक्ताओं के हित में नहीं है, क्योंकि घरेलू उद्योग की क्षमता, भारत में मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है।
- (गग) प्राधिकारी द्वारा सार्थक विश्लेषण करने के लिए एचओसीएल और एस.आई. ग्रुप इंडिया लिमिटेड दोनों के क्षति के आंकड़ों की जांच करनी चाहिए।

प्राधिकारी द्वारा जांच

40. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को हुई क्षति पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न निवेदनों को नोट कर लिया है तथा रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और लागू विधि का अनुपालन करते हुए घरेलू उद्योग को हुई क्षति का विश्लेषण किया है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न निवेदनों पर जितना प्रासंगिक समझा गया है, विचार किया गया है तथा उनकी जांच संबद्ध शीर्षों के अंतर्गत की गई है, जिनका उल्लेख नीचे किया गया है।

41. इस तर्क के संबंध में कि याचिका में अनेक असंगतियाँ हैं, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच शुरू होने के बाद एक वर्ष का समय बीत जाने को ध्यान में रखते हुए लागत निर्धारण करने की अद्यतन सूचना को स्वीकार कर लिया गया है और यह माना गया है कि पहले केवल अनन्तिम सूचना उपलब्ध थी।

42. इस तर्क के संबंध में कि कारण-कार्य-संबंध में घोर विच्छेदन हुआ है, प्राधिकारी ने उपयुक्त शीर्ष के अंतर्गत कारणात्मक संबंध का पृथक विश्लेषण किया है। तथापि, यह नोट किया जाता है कि विभिन्न स्रोतों से उल्लेखनीय मात्रा में आयात हुए हैं।

43. इस तर्क के संबंध में कि एचओसीएल को क्षति, उसकी अपनी निजी कमियों के कारण हुई है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि एचओसीएल ने विगत में वास्तव में लाभ अर्जित किया है। इसलिए उसके कार्य निष्पादन में गिरावट आना और घरेलू उद्योग को उसकी परिणामी क्षति होने के लिए इन प्राचलों को उत्तरदायी नहीं माना जा सकता है। इसके

अतिरिक्त प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि विगत अनेक वर्षों से पाटन-रोधी शुल्कों के लागू रहने के बावजूद भी घरेलू उद्योग को विभिन्न स्रोतों से निरंतर पाटन होते रहने का सामना करना पड़ा है।

44. इस तर्क के संबंध में कि क्षति मार्जिन का परिकलन निराधार है, प्राधिकारी ने उपयुक्त शीर्षों के अंतर्गत अपना विश्लेषण किया है।

45. गैर-जिम्मेदाराना कारकों के तर्क के संबंध में प्राधिकारी ने उपयुक्त शीर्षों के अंतर्गत एक पृथक विश्लेषण किया है।

46. पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध - II में (क) पाटित आयातों की मात्रा और घरेलू बाजार में कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव तथा (ख) ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव, दोनों की सार्थक जांच करने का प्रावधान निहित है। पाटित आयातों की मात्रा के प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी को इस बात की जांच करनी अपेक्षित होती है कि क्या पाटित आयातों में पूर्णरूपेण अथवा भारत में उत्पादन या खपत के प्रसंग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। पाटित आयातों के कीमत पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में प्राधिकारी को इसकी जांच करनी अपेक्षित होती है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में अत्यधिक कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से अन्यथा विशेष स्तर तक कीमत में हास हुआ है अथवा कीमतों में ऐसी वृद्धि को रोका जा सकता था, जो कि अन्यथा विशेष स्तर तक हो सकती थी।

47. जहां तक घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है, पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध - II के पैरा (IV) में निम्नानुसार उल्लेख है:

"संबंधित घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय या क्षमता उपयोग में स्वाभाविक और संभावित गिरावट सहित उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और संकेतकों, घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता को प्रभावित करने वाले कारकों का मूल्यांकन शामिल होगा।"

48. भारत में घरेलू उद्योग पर आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए प्राधिकारी ने उपरोक्त नियमावली के अनुबंध - II (iv) में उल्लिखित प्रावधान के अनुसार ऐसे सूचकों पर विचार किया है जिनका उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, जैसे कि उद्योग के उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री की मात्रा, स्टॉक, लाभप्रदता, निबल बिक्री वसूली, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि।

संचयी मूल्यांकन

49. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध- II के पैरा (iii) में यह उपबंध है कि यदि एक से अधिक देश से किसी उत्पाद के हुए आयात के साथ-साथ पाटनरोधी जांच की जा रही है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी उस स्थिति में ऐसे आयातों के प्रभाव का संचयी निर्धारण करेंगे जब वह यह निर्धारित करें कि :-

- (क) प्रत्येक देश से आयातों के संबंध में पुष्टिकृत पाटन मार्जिन निर्यात कीमत के प्रतिशत के रूप में व्यक्त दो प्रतिशत से अधिक है और प्रत्येक देश से हुए आयात की मात्रा समान वस्तु के आयात की मात्रा की 3 प्रतिशत से कम है वहां संचयी रूप से आयात समान वस्तु के आयात के साथ सबसे अधिक बनता है; तथा
- (ख) आयातित वस्तु एवं समान घरेलू वस्तुओं के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों के मद्देनजर आयातों के प्रभाव का संचयी निर्धारण उचित है।

50. मौजूदा मामले में यह नोट किया जाता है कि -

- (क) प्रत्येक संबद्ध देश से पाटन का मार्जिन, निर्धारित सीमा से अधिक है।
- (ख) प्रत्येक संबद्ध देश से आयात की मात्रा, निर्धारित सीमा से अधिक है।

- (ग) आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन करना उचित है क्योंकि संबद्ध देशों से निर्यात न केवल उनमें से प्रत्येक द्वारा प्रस्तावित समान वस्तु से प्रतिस्पर्धा करती है बल्कि भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तावित समान वस्तु से भी प्रतिस्पर्धा करती है।

51. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी का यह विचार है कि आयातों के प्रभावों का संचयी मूल्यांकन करना उपयुक्त है।

52. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना का विश्लेषण करने के बाद घरेलू उद्योग को हुई क्षति का विश्लेषण किया है।

मांग का मूल्यांकन

53. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्रियों, अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्रियों और सभी स्रोतों से भारत में संबद्ध वस्तुओं के आयातों के सारांश के रूप में मांग का निर्धारण किया है। इस प्रकार से मूल्यांकित मांग को नीचे तालिका में दर्शाया गया है :-

क्रमांक	विवरण	यूनिट	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
	भारत में मांग					
1	घरेलू उद्योग की बिक्रियां	मी. टन	80,021	67,361	61,185	46,948
2	संबद्ध देशों से आयात	मी. टन	15,441	11,752	16,135	88,612
	- यूरोपीय यूनियन	मी. टन	10,870	10,047	104	21,430
	- कोरिया जनवादी गणराज्य	मी. टन	3,425	872	15,533	44,494
	- सिंगापुर	मी. टन	1,146	832	498	22,688
3	पाटन-रोधी शुल्क को आकर्षित करने वाले देश	मी. टन	84,448	1,20,868	1,50,940	1,00,577
4	अन्य देश	मी. टन	18,647	8,926	1,574	132
5	मांग	मी. टन	198,556	208,906	229,835	231,769

54. प्राधिकारी नोट करते हैं कि समस्त क्षति अवधि में संबद्ध वस्तुओं की मांग में सकारात्मक प्रवृत्ति दृष्टिगत हुई है और क्षति अवधि में इसमें विशेष रूप से वृद्धि हुई है।

पाटित आयातों की मात्रात्मक प्रभाव

(क) आयात की मात्रा और बाजार का हिस्सा

55. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी को इस पर विचार करने की आवश्यकता होती है कि क्या पाटित आयातों में भारत में पूर्णरूपेण अथवा उत्पादन या खपत के प्रसंग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। क्षति का विश्लेषण करने के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त किए गए कारोबार-वार आयात के आंकड़ों पर विश्वास किया है। संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों की मात्रा का विश्लेषण निम्नानुसार है :-

क	आयात - (मात्रा)	यूनिट	2009-10	2010-11	2011-12	2013-14
1	संबद्ध देश	मी. टन	15,441	11,752	16,135	84,112
2	यूरोपीय यूनियन	मी. टन	10,870	10,047	104	21,430
3	कोरिया जनवादी गणराज्य	मी. टन	3,425	872	15,533	44,494
4	सिंगापुर	मी. टन	1,146	832	498	18,188
5	पाटन-रोधी शुल्क को आकर्षित करने वाले देश	मी. टन	84,448	1,20,868	1,50,940	1,00,577
6	अन्य देश	मी. टन	18,647	8,926	1,574	132
7	कुल	मी. टन	118,536	141,545	168,649	1,84,821
ख	आयातों में बाजार का हिस्सा					
1	संबद्ध देश	%	12.81	7.03	9.57	45.51
2	यूरोपीय यूनियन	%	8.95	5.83	0.06	11.60
3	कोरिया जनवादी गणराज्य	%	2.89	0.62	9.21	24.07
4	सिंगापुर	%	0.97	0.59	0.30	9.84
5	पाटन-रोधी शुल्क को आकर्षित करने वाले देश	%	71.24	85.39	89.50	54.54
6	अन्य देश	%	15.95	7.57	0.93	0.07
7	कुल आयात	%	100.00	100.00	100.00	100.00
8	भारत में खपत के प्रसंग में आयात	%	7.64	4.77	7.02	36.29
9	भारत में उत्पादन के प्रसंग में आयात	%	18.79	14.75	26.93	181.40
ग	मांग में बाजार का हिस्सा					
1	घरेलू उद्योग की बिक्रियां	%	40.30	32.24	26.62	20.25
2	संबद्ध देशों से आयात	%	7.78	5.63	7.02	36.29
3	पाटन-रोधी शुल्क को आकर्षित करने वाले देश	%	42.53	57.86	65.67	43.40
4	अन्य देश	%	9.53	5.13	0.69	0.06
5	कुल	%	100.00	100.00	100.00	100.00

56. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आधार वर्ष की तुलना में क्षति अवधि में कुल आयातों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तुएं, अनेक देशों से आयातों पर पाटन-रोधी शुल्क लगाए जाने को आकर्षित कर रही हैं और अनेक देशों के खिलाफ पाटन-रोधी जांच प्रगति पर है। ऐसे देशों से आयातों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो कि पहले से ही पाटन-रोधी शुल्कों को आकर्षित कर रहे हैं। संबद्ध देशों से आयातों ने भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाई है। बाजार के हिस्से में आयातों के हिस्से में भी उल्लेखनीय सीमा तक वृद्धि हुई है।

पाटित आयातों के कीमत प्रभाव

कीमत कटौती

57. यह निर्धारण करने के लिए कि क्या आयात बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं, प्राधिकारी ने आयातों की पहुंच कीमत की तुलना घरेलू उद्योग की निबल बिक्री वसूली के साथ की है।

विवरण	यूओएम	यूरोपीय यूनियन	कोरिया जनवादी गणराज्य	सिंगापुर	संबद्ध देश
आयातों की पहुंच कीमत	रुपए/ मी.टन	***	***	***	***
निबल बिक्री वसूली	रुपए/	***	***	***	***
कीमत में कटौती	मी.टन	***	***	***	***
	%	***	***	***	***
	सीमा	5-15%	0-10%	0-10%	0-10%

58. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं की पहुंच कीमत, घरेलू उद्योग की बिक्री की कीमत से पर्याप्त रूप से कम है, जो कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण हो रही कीमत में उल्लेखनीय कटौती को दर्शाती है।

कम कीमत पर बिक्री

59. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग द्वारा की गई कम कीमत पर बिक्री की भी जांच की है, जो कि निम्नानुसार है : -

विवरण	यूओएम	यूरोपीय यूनियन	कोरिया जनवादी गणराज्य	सिंगापुर	संबद्ध देश
गैर-क्षति कीमत	रुपए/ मी.टन	***	***	***	***
पहुंच कीमत	रुपए/	***	***	***	***
कम कीमत पर बिक्री	मी.टन	***	***	***	***
	%	***	***	***	***
	सीमा	10-20%	0-10%	5-15%	5-15%

60. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के कारण जांच अवधि के दौरान काफी कम कीमत पर बिक्री करनी पड़ी हैं।

कीमत ह्रास और न्यूनीकरण

61. यह निर्धारण करने के लिए कि क्या पाटित आयातों से घरेलू कीमतों में ह्रास अथवा न्यूनीकरण हो रहा है और क्या ऐसे आयातों के कारण कीमतों में उल्लेखनीय स्तर तक न्यूनीकरण हो रहा है अथवा कीमतों में वृद्धि होने में रुकावट आ रही है जो कि अन्यथा उल्लेखनीय स्तर तक हो सकती थी, प्राधिकारी ने क्षति अवधि के दौरान लागतों और कीमतों में परिवर्तन पर विचार किया है, जो कि निम्नानुसार है :-

विवरण	यूओएम	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
बिक्रियों की लागत	रुपए/ मी.टन	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	111	136	158
बिक्री कीमत	रुपए/ मी.टन	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	94	97	106
पहुंच कीमत –संबद्ध देश	रुपए/ मी.टन	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	115	116	115

62. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जब कि आधार वर्ष के साथ तुलना करने पर उत्पादन की लागत और बिक्री कीमत दोनों में ही वृद्धि हुई है, फिर भी बिक्री की कीमत में वृद्धि, बिक्रियों की लागत में हुई वृद्धि से बहुत कम है। इस प्रकार क्षति अवधि में आयात घरेलू कीमतों में ह्रास कर रहे हैं।

घरेलू उद्योग के आर्थिक प्राचल

63. पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध-II में ऐसी अपेक्षा है कि क्षति का निर्धारण करने में समान उत्पाद के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की लक्ष्य परक जांच करना निहित हो। ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में नियमावली में आगे यह भी प्रावधान निहित है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों की जांच में सभी संबद्ध कारकों और सूचकों के लक्ष्य परक और पक्षपात रहित मूल्यांकन करना शामिल होना चाहिए जिनका उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, जिनमें बिक्रियों, लाभ, आउटपुट, बाजार के हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर प्रतिलाभ या क्षमता उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट आना, घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक, पाटन के मार्जिन की मात्रा, नकदी प्रवाह, माल सूचियों, रोजगार, वेतन, उन्नति, पूंजीगत निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव का विश्लेषण करना शामिल हो। घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन की जांच करने पर ऐसा पता चलता है कि घरेलू उद्योग को आर्थिक क्षति हुई है।

64. घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति प्राचलों का उल्लेख नीचे किया गया है।

(क) क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्रियां

65. घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री की मात्रा संबंधी सूचना निम्नानुसार है :-

क्रमांक	विवरण	यूओएम	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1	क्षमता	मी.टन	74,200	74,200	76,750	76,750
2	उत्पादन	मी.टन	80,796	67,500	59,921	46,369
3	क्षमता उपयोग	%	108.89%	90.97%	78.07%	60.42%
4	घरेलू बिक्रियां	मी.टन	77,521	64,427	54,316	41,109
5	मांग	मी.टन	198,556	208,906	229,835	236,269

66. यह नोट किया जाता है कि समस्त क्षति अवधि के दौरान उत्पादन में निराशाजनक गिरावट आने के साथ-साथ क्षमता उपयोग में भी उल्लेखनीय गिरावट आई है। आयात की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि होने के बावजूद उत्पादन और बिक्रियों में ऐसी प्रवृत्ति रही है।

(ख) बाजार का हिस्सा

67. घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्रियों और बाजार के हिस्से पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच की गई है जो कि निम्नानुसार है :-

मांग में बाजार का हिस्सा	यूनिट	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
घरेलू उद्योग की बिक्रियां	%	40.30	32.24	26.62	19.87
संबद्ध देशों से आयात	%	7.78	5.63	7.02	37.50
प्रक्रिया अधीन देश	%	30.81	41.85	57.13	25.70
पाटन रोधी शुल्क आकर्षित करने वाले देश	%	11.72	16.01	8.54	16.86
अन्य देश	%	9.39	4.27	0.68	0.06
कुल	%	100.00	100.00	100.00	100.00

68. प्राधिकारी नोट करते हैं कि समस्त क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के बाजार के हिस्से में गिरावट आई है, जब कि संबद्ध देशों से आयात के बाजार के हिस्से में प्रमुख और उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

(ग) लाभ, नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ और नकदी लाभ

69. घरेलू उद्योग के लाभ, निवेश पर प्रतिलाभ और नकदी प्रवाह की जांच की गई है जो कि निम्नानुसार है :-

विवरण	यूनिट	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
बिक्रियों की लागत	रुपए/ मी.टन	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	111	136	158
बिक्री कीमत	रुपए/ मी.टन	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	94	97	106
लाभ/हानि	रुपए/ मी.टन	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	42	(24)	(56)
लाभ/हानि	लाख रुपए	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	35	(17)	(29)
ब्याज और कर पूर्व लाभ	लाख रुपए	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	37	(12)	(21)
आरओसीई	%	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	44	(20)	(35)
नकद लाभ	लाख रुपए	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	36	(15)	(27)

70. सभी प्राचलों जैसे कि लाभ प्रदता, पीबीआईटी, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ में निराशाजनक गिरावट आई है और ये अधिकतर क्षति अवधि के दौरान नकारात्मक स्तर पर ही बने रहे हैं।

(घ) माल सूचियां

71. यह नोट किया जाता है कि समस्त क्षति अवधि के दौरान माल सूचियों में गिरावट आई है। यह नोट किया जाता है कि माल सूची का निम्न स्तर, एचओसीएल द्वारा उत्पादन को बंद कर दिए जाने के कारण हुआ है।

माल सूचियां	यूओएम	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
अथ स्टॉक	मी.टन	***	***	***	***
अंत स्टॉक	मी.टन	***	***	***	***
औसत स्टॉक	मी.टन	***	***	***	***
औसत स्टॉक	सूचीबद्ध	100	120	94	51

(ङ) रोजगार और वेतन तथा उत्पादकता

72. घरेलू उद्योग का रोजगार का स्तर, वेतन और उत्पादकता निम्नानुसार है :-

विवरण	यूओएम	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	89	89	86
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	मी.टन / संख्या	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	94	83	67
प्रति दिवस उत्पादकता	मी.टन / दिवस	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	84	74	57
वेतन	लाख रुपए	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	85	86	86

73. यह नोट किया जाता है कि आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान रोजगार, उत्पादकता और वेतन में गिरावट आई है।

(च) पाटन की मात्रा

74. पाटन की मात्रा एक ऐसा सूचक है जिससे ऐसा पता चलता है कि किस सीमा तक पाटित आयातों से घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है और यह दर्शाता है कि संबद्ध देशों के खिलाफ निर्धारित किया गया पाटन मार्जिन न्यूनतम से अधिक और पर्याप्त है।

(छ) पूंजी जुटाने की क्षमता

75. निवेश जुटाने की क्षमता के संबंध में यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद में कोई नया निवेश नहीं किया है। इसके अतिरिक्त हालांकि घरेलू उद्योग की क्षमता की तुलना में मांग काफी अधिक है, फिर भी घरेलू उद्योग अपनी क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रहा है और उसको क्षति हो रही है।

(ज) घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

76. संबद्ध देशों और अन्य देशों से आयात की कीमतों की जांच करने, लागत के ढांचे में परिवर्तन, घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्द्धा, पाटित आयातों से भिन्न ऐसे कारक जिनसे घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव पड़ सकता है, से ऐसा पता चलता है कि संबद्ध देशों से आयातित सामग्री का पहुंच मूल्य, घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और उत्पादन लागत से कम है, जिसके कारण भारतीय बाजार में कीमत में कटौती हो रही है तथा कम कीमत पर बिक्री की जा रही है। इसके अतिरिक्त यह भी नोट किया जाता है कि अन्य देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयात काफी अधिक कीमतों पर किए जाते हैं अथवा पाटन-रोधी शुल्क को आकर्षित कर रहे हैं अथवा उनकी पाटन-रोधी जांच की जा रही है। इस उत्पाद का कोई और अर्थक्षम प्रतिस्थापन नहीं है। साथ ही यह भी नोट किया जाता है कि क्षति अवधि में संबद्ध वस्तुओं की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि दृष्टिगत हो रही थी और यह घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाला एक कारक नहीं हो सकती थी। इस प्रकार घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक, संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं का पहुंच मूल्य है।

(झ) संवृद्धि

77. संवृद्धि के विभिन्न प्राचलों की जांच की गई है, जिसका उल्लेख नीचे तालिका में किया गया है। यह नोट किया जाता है कि जांच पश्चात अवधि में संवृद्धि के प्राचलों में गिरावट आई है और ये नकारात्मक बन गए हैं जबकि नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ सकारात्मक बन गया है। क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की समग्र संवृद्धि प्रतिकूल रही है।

संवृद्धि	यूनिट	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
उत्पादन	%	-	(16.46)	(11.23)	(22.62)
बिक्री की मात्रा	%	-	(21.92)	(13.16)	(17.33)
बिक्रियों की लागत	%	-	10.69	22.92	16.18
बिक्री कीमत	%	-	(6.05)	3.00	9.23
लाभ /हानि	%	-	(57.61)	(157.14)	129.38
नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ	%	-	(60.46)	(68.43)	(15.44)

आर्थिक क्षति पर निष्कर्ष

78. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों की मात्रा और उनके कीमत प्रभाव की जांच करने के बाद यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों में संपूर्णता की दृष्टि से तथा साथ ही भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन और खपत के प्रसंग में काफी वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग की बिक्रियों, उत्पादन और क्षमता उपयोग जैसे अन्य प्राचलों की मात्रा की जांच करने के बाद यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के कारण अत्यधिक क्षति हुई है। इसके अतिरिक्त संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के कारण कीमत पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में काफी कटौती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयातों के कारण कीमत ह्रास होने का नुकसान उठाना पड़ा है, क्योंकि क्षति अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत में हुई वृद्धि के समनुरूप संबद्ध वस्तुओं की बिक्री की कीमत को बढ़ाया नहीं जा सकता था। घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि घरेलू उद्योग को उसके उत्पादन, क्षमता उपयोग, घरेलू बिक्रियों, बाजार के हिस्से, लाभ, नकदी प्रवाह, निवेश पर प्रतिलाभ, उत्पादकता और माल सूचियों के संबंध में उसके निष्पादन में गिरावट आई है। लाभ, निवेश पर प्रतिलाभ और नकदी प्रवाह में ऐसी गिरावट अत्यधिक है और यह आर्थिक है। इस प्रकार प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि घरेलू उद्योग को आर्थिक क्षति हुई है।

कारणात्मक संबंध और अन्य ज्ञात कारक

79. प्राधिकारी द्वारा आर्थिक क्षति की विद्यमानता, कीमत में कटौती होने, कम कीमत पर बिक्री होने और कीमत ह्रास और न्यूनीकरण प्रभाव जैसे कारकों के रूप में घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातों की मात्रा और उनके कीमत पर पड़ने वाले प्रभाव तथा भारतीय नियमावली और पाटन-रोधी करार के अंतर्गत सूचीबद्ध अन्य सूचकों की जांच, यह देखने के लिए की गई है कि क्या पाटित आयातों के अतिरिक्त कोई ऐसा कारक भी है जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई हो।

(क) तृतीय देशों से आयात और अन्य कारक

80. तृतीय देशों से आयात नगण्य हैं अथवा उन पर पहले से ही पाटन रोधी शुल्क लगे हुए हैं तथा इस प्रकार उनसे घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हो सकती है। संबद्ध देशों से भिन्न अन्य देशों और ऐसे देशों जिनकी संबद्ध वस्तुओं के अधिकतर आयात पर पाटन-रोधी शुल्क लग रहा था, उनकी कीमतें संबद्ध देशों की कीमतों से काफी अधिक थीं।

(ख) मांग का संकुचन

81. समस्त क्षति अवधि के दौरान संबद्ध उत्पाद की मांग में निरंतर वृद्धि हुई है। मांग में संभावित गिरावट आना, घरेलू उद्योग की क्षति का संभावित कारण नहीं है।

(ग) खपत की पद्धति में परिवर्तन

82. खपत की पद्धति में कोई दृष्टव्य परिवर्तन नहीं है।

(घ) प्रोद्योगिकी में विकास

83. जांच से ऐसा कुछ भी पता नहीं चला है कि प्रोद्योगिकी के विकास के कारण घरेलू उद्योग को किसी प्रकार की कोई क्षति होने की संभावना है।

(ङ) विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच व्यापारिक प्रतिबंधित पद्धतियां तथा प्रतिस्पर्धा

84. ऐसी कोई व्यापारिक प्रतिबंधित पद्धति नहीं है जिसके कारण घरेलू उद्योग को किसी प्रकार की कोई क्षति हो सकती हो।

(च) घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन

85. निर्यात निष्पादन प्रासंगिक नहीं है क्योंकि प्राधिकारी ने क्षति का विश्लेषण करने के लिए घरेलू उद्योग के केवल घरेलू निष्पादन पर ही विचार किया है।

कारणात्मक संबंध स्थापित करने के प्राचल

86. इस प्रकार यह नोट किया जाता है कि जब कि सूचीबद्ध ज्ञात अन्य कारक यह नहीं दर्शाते हैं कि उनके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है, फिर भी निम्नलिखित प्राचलों से ऐसा पता चलता है कि पाटित आयातों के कारण ही घरेलू उद्योग को क्षति हुई है :-

- (क) संबद्ध देशों से पाटित आयातों की मात्रा में तेजी से वृद्धि होने के फलस्वरूप भारत में विचाराधीन उत्पाद की मांग में पाटित आयातों के हिस्से में वृद्धि हुई है। इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग ने अपने बाजार के हिस्से को गंवा दिया है।
- (ख) आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में भारी कटौती कर रहे थे। परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग लागत में हुई वृद्धि के अनुरूप अपनी कीमत में वृद्धि करने में सक्षम नहीं था। इस प्रकार आयातों के परिणामस्वरूप जांच अवधि में घरेलू उद्योग को कीमत में ह्रास होने की स्थिति का सामना करना पड़ा है।
- (ग) पाटित आयातों के फलस्वरूप घरेलू उद्योग के कीमत के सभी प्राचलों में गिरावट आई है।
- (घ) यथा निर्धारित पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के स्तर को सार्थक माना गया है।

झ. क्षति मार्जिन की मात्रा

87. उद्योग द्वारा निर्मित संबद्ध वस्तुओं की गैर-क्षति कीमत की तुलना, जांच अवधि के दौरान क्षति मार्जिन का निर्धारण करने के लिए संबद्ध देशों से निर्यात के पहुंच मूल्य के साथ की गई है। इस तरह से निर्धारित किया गया क्षति मार्जिन निम्नानुसार है :-

देश	उत्पादक	निर्यातक	पाटन मार्जिन (सं.अ.डालर/ मी.टन)	पाटन मार्जिन (%)	भारित औसत पाटन मार्जिन (सं.अ.डालर/ मी.टन)	भारित औसत पाटन मार्जिन (%)	पाटन मार्जिन की सीमा
कोरिया गणराज्य	मै. एलजी कैम लि.	विनमार इंटरनेशनल लि. यूएसए, हरेश पेट्रोकेम सिंगापुर पीटीई लि., सिंगापुर, एम कार्पो., ह्यूंडे कार्पोरेशन, कोरिया गणराज्य, आईसीसी कैमिकल कार्पो., यूएसए, केमपार एनर्जी पीटीई लि., सिंगापुर, डिनोविक पीटीई लि., सिंगापुर, हैजन मिडिल ईस्ट एफजेडई, यूएई, इटेग्रा पेट्रोकेमिकल्स पीटीई लि., सिंगापुर, कांटेनैट इंटरनेशनल लि. हांगकांग और आक्साइड कैमिकल्स चाइना लि. हांगकांग	***	***	***	***	0-10
	मै. कुम्हो पीएंडबी कैमिकल्स इंक	ह्यूमेड कार्पो. कोरिया गणराज्य, वूरी पीएंडबी कार्पोरेशन, कोरिया गणराज्य और केंको मार्केटिंग इंक, कोरिया गणराज्य	***	***	***	***	(-)
	कोई अन्य		***	***	***	***	10-20
सिंगापुर	मै. मितसुइ एंड क. (एशिया पैसिफिक) पीटीई लि., सिंगापुर, हरेश पेट्रोकेम सिंगापुर पीटीई लि., सिंगापुर, मै. सुमितोमो कार्पो. एशिया एंड ओसियाना प्रा. लि. और पेट्रोकेम एशिया पीटीई लि., सिंगापुर		***	***	***	***	5-15
	कोई अन्य		***	***	***	***	10-20
यूरोपीय संघ	सभी उत्पादक और निर्यातक		***	***	***	***	10-20

अ. भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे

88. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटन-रोधी शुल्कों का प्रयोजन सामान्यतया पाटन की अनुचित व्यावहारिक पद्धतियों द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है, ताकि भारतीय बाजार में ऐसे खुले और उचित प्रतस्पर्द्धा का वातावरण बहाल किया जा सके, जो कि देश के सामान्य हित में हो। पाटन-रोधी उपाय करने से किसी भी तरह से संबद्ध देशों से आयात प्रतिबंधित नहीं होंगे और इसलिए इनसे उपभोक्ताओं को उत्पादों की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।

89. यह माना जाता है कि पाटन-रोधी शुल्क लागू करने से भारत में संबद्ध वस्तुओं का प्रयोग करके विनिर्मित उत्पाद के कीमत स्तर प्रभावित हो सकते हैं और उसके परिणामस्वरूप उनका ऐसे उत्पाद की अपेक्षाकृत प्रतिस्पर्द्धा क्षमता पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है। तथापि, पाटन-रोधी उपाय करने से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्द्धा कम नहीं होगी, विशेष रूप से यदि पाटन रोधी शुल्क की राशि उस सीमा तक ही प्रतिबंधित की जाए जो कि घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करने के लिए आवश्यक हो। इसके विपरीत पाटन-रोधी उपाय करने से पाटन की पद्धतियों द्वारा अनुचित लाभ प्राप्त करने की अनुचित प्रक्रिया समाप्त होगी, घरेलू उद्योग में होने वाली गिरावट रूकेगी तथा उपभोक्ताओं की व्यापक पसंद की संबद्ध वस्तुओं की उपलब्धता बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

अ. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए प्रकटन पश्चात विवरण प्रस्तुतिकरण

विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन पश्चात किए गए विवरण प्रस्तुतिकरण

90. विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों ने प्रकटन पश्चात विवरण प्रस्तुतिकरण किए हैं, वह संक्षेप में अधोलिखित है:

- क. मेसर्स एस. आई. ग्रुप इंडिया लिमिटेड एक आयातक है और इसलिए वह घरेलू उद्योग नहीं है। मेसर्स एस. आई. ग्रुप इंडिया लिमिटेड ने जांच अवधि में संबद्ध वस्तुओं का पर्याप्त आयात किए हैं।
- ख. याचिकादाताओं ने एक दशक से अधिक अवधि से पाटन-रोधी शुल्कों पर अत्यधिक विश्वास किया है।
- ग. समस्त जांच के दौरान निर्यातक सहयोगी रहे हैं और उन्होंने माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए अपने आंकड़ों के पूरे सत्यापन में सहयोग दिया है। इसलिए उनके लिए पृथक मार्जिन स्वीकृत किया गया है और उनका निरंतर सहयोग बना रहना चाहिए।
- घ. प्राधिकारी ने निर्यातकों द्वारा अभिज्ञात किए गए मुख्य कारणात्मक संपर्क को तोड़ने का निदान करने से पूर्णतः बचाव किया है। इसके अतिरिक्त, ऐसे अनेक अन्य प्राचल हैं जिनसे क्षति हुई है, प्राधिकारी द्वारा उनकी जांच नहीं की गई है क्योंकि इससे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का सीधा उल्लंघन होता है। प्राधिकारी से अनुरोध किया गया है कि उचित परिणामों के साथ उपरोक्त मुद्दों का निवारण करें।
- ङ. यदि परिसंपत्तियों का बही मूल्य अथवा बाजार मूल्य का प्रयोग करते हुए घरेलू उद्योग द्वारा नियोजित पूंजी का निर्धारण किया गया है तो उस स्थिति में प्राधिकारी अगोपनीय आधार पर स्पष्टीकरण दे सकते हैं। केवल निर्धारित नियोजित पूंजी पर ही घरेलू उद्योग की परिसंपत्तियों के बही मूल्य पर विश्वास किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त प्राधिकारी यह भी स्पष्ट कर सकते हैं कि कारखानागत स्तर पर (अर्थात् जिसमें अंतर्देशीय भाड़ा शामिल नहीं है) एन आई पी पर विचार किया गया है तथा पहुंच कीमत का परिकलन करते समय कोई क्रेडिट व्यय घटाया नहीं गया है।
- च. जांच अवधि के दौरान मै0 हरेथ पैट्रोकेम सिंगापुर, प्रा0 लि0, सिंगापुर ने एल जी चैम के साथ-साथ मित्सुई एंड कंपनी (एशिया पैसिफिक) प्रा0 लि0 स्रोत से फिनोल (***मी.ट.) निर्यात की है। तथापि, प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण में उसका नाम एल जी चैम व्यापारी/निर्यातक के रूप में निर्दिष्ट किया है और न कि मित्सुई एंड कंपनी के साथ व्यापारी/निर्यातक के रूप में। कृपया हरेथ पैट्रोकेम सिंगापुर प्रा0 लि0 के नाम को मित्सुई एंड कंपनी (एशिया पैसिफिक) प्रा0 लि0 के रूप में विचार किया जाए।

घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटन पश्चात किए गए विवरण प्रस्तुतिकरण

91. घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटन पश्चात किए गए विवरण, संक्षेप में, निम्नलिखित हैं:

(i) संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों में संपूर्णता की दृष्टि से तथा साथ ही भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन और खपत के प्रसंग में काफी वृद्धि हुई है।

(ii) घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के कारण अत्यधिक क्षति हुई है।

- (iii) संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में काफी कटौती कर रहे हैं।
- (iv) घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयातों के कारण कीमत ह्रास होने का नुकसान उठाना पड़ा है।
- (v) घरेलू उद्योग को उसके उत्पादन, क्षमता उपयोग, घरेलू बिक्रियों, बाजार के हिस्से, लाभ, नकदी प्रवाह, निवेश पर प्रतिलाभ, उत्पादकता और माल सूचियों के संबंध में उसके निष्पादन में गिरावट आई है। लाभ, निवेश पर प्रतिलाभ और नकदी प्रवाह में ऐसी गिरावट अत्यधिक है और यह आर्थिक है। इस प्रकार प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि घरेलू उद्योग को आर्थिक क्षति हुई है।
- (vi) संबद्ध देशों से सभी सहयोगी निर्यातकों के संबंध में पाटन मार्जिन और सबद्ध देशों में समग्र रूप से एलजी कैम लि. और कुम्हो पीएंडबी कैमिकल्स इंक को छोड़कर न्यूनतम सीमा से अधिक पाया गया है।
- (vii) यह स्पष्ट नहीं कि निर्यातकों द्वारा दावा की गई निर्यात कीमत कैसे भारतीय सीमाशुल्क आकड़ों, महानिदेशक प्रणाली के आकड़ों और याचिका से तुलना करती है। इन कंपनियों के ऋणात्मक पाटन मार्जिन को ध्यान में रखते हुए, इनकी प्रति जाँच की जाए।
- (viii) एलजी कैम की निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा बार-बार अलग-अलग उत्पादों की जाँच किए जाने की सूचना मिली है और उनका पाटन मार्जिन निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक पाया गया है। इसी प्रकार, कुम्हो को भी जहाँ तक उसके प्रश्नावली के उत्तर पर आधारित पाटन मार्जिन का संबंध में निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक पाटन अनेक मामलों में पाया गया है।
- (ix) फेनोल में, कोई उत्पादक किसी बाजार में अन्य आपूर्तिकर्ताओं से वास्तविक रूप से अलग कीमत लेने में सक्षम नहीं रहा है और वह भी तब जब प्राधिकारी ने इस उत्पाद और अन्य उत्पादों में अन्य निर्यातकों के संबंध में भारी पाटन मार्जिन पाया है, प्राधिकारी ने इन कंपनियों के संबंध में न्यूनतम सीमा से अधिक पाटन मार्जिन पाया है।
- (x) व्यापार पत्रिका में प्रकाशित कीमतें कोरिया में काफी अधिक घरेलू कीमतें दर्शाती है।
- (xi) कोरिया सीमाशुल्क के आकड़े दर्शाते हैं कि कोरिया के उत्पादकों ने तीसरे देशों में काफी अधिक कीमतों पर विचाराधीन उत्पाद का निर्यात किया है।
- (xii) कुम्हो कैसे बाजार कीमतों से कम कीमतों पर निर्यात करने में सक्षम रहा है और वह लगभग समान कारखाना द्वार स्तर पर है।
- (xiii) एलजी कैम के मामले में मूल्य शृंखला पूर्ण प्रतीत नहीं होती है। आईसीसी कैमिकल कार्पोरेशन, यूएसए, डिनोविक पीटीई लि. सिंगापुर, हैजर मिडिल ईस्ट एफजेडई, यूएई, इंटेग्रा पेट्रोकेमिकल्स पीटीई लि. सिंगापुर ने प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया प्रतीत होता है। इसके अलावा केमपार एनर्जी पीटीई लि. सिंगापुर नाम को पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन तालिका में उल्लेख किया गया है। परंतु इस निर्यातक का नाम प्रक्रिया भाग में नहीं लिखा गया है। ऐसा लगता है कि इस कंपनी ने भी प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है।
- (xiv) एनआईपी का निर्धारण उत्पादन की वास्तविक लागत, खपत के वास्तविक मानक, वास्तविक क्षमता उपयोग पर विचार करते हुए किया जाना चाहिए। निवेश पर आय एनएफए पर आधारित नहीं होना चाहिए, या आय की दर संयंत्र की आयु पर विचार करते हुए अधिक होनी चाहिए।

प्राधिकारी द्वारा जांच

92. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटन पश्चात किए गए अधिकांश विवरण प्रस्तुतिकरण पुनरावृत्तिक प्रवृत्ति के हैं और उनका इस प्रकटन विवरण में पहले ही समाधान कर दिया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि मेसर्स एस. आई. ग्रुप इंडिया लिमिटेड द्वारा किए गए आयात बाजार में उपलब्ध नहीं कराए गए थे। इसलिए प्राधिकारी की यह धारणा है कि एस.आई. ग्रुप द्वारा किए गए आयात से वह घरेलू उद्योग माने जाने के लिए अयोग्य नहीं हो जाता है। प्राधिकारी कानूनी अपेक्षाओं का अनुसरण करने के बाद ही किसी प्रकार के उपाय अथवा

शुल्क की सिफारिश करते हैं। इतिहास की ओर ध्यान दिए बिना प्रत्येक मामले की जांच, जांच की नई अवधि के लिए उसके गुणावगुण के आधार पर ही की जाती है। घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के कारण अत्यधिक क्षति हुई है, कम कीमत पर बिक्री कम कटौती का नुकसान उठाना पड़ा है। जहां तक गैर क्षतिकारी कीमत का संबंध है प्राधिकारी ने गैर क्षतिकारी कीमत का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-3 में निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार की है। इसके अलावा, प्राधिकारी ने पूर्ववर्ती प्रथाओं के अनुसार डीजीसीआईएंडएस के आकड़ों पर भरोसा किया है। प्रतिवादी निर्यातकों ने मूल्य श्रृंखला के संबंध में संगत सूचना प्रदान की गई है। यह नोट किया जाता है कि मै0 हरेश पेट्रोकेम सिंगापुर, प्रा0 लि0, सिंगापुर ने जांच अवधि के दौरान एल जी मित्सुई एंड कंपनी (एशिया पैसिफिक) प्रा0 लि0 को फिनोल का निर्यात किया है और इस प्रकार प्राधिकारी ने मै0 हरेश पेट्रोकेम सिंगापुर, प्रा0 लि0, सिंगापुर को मित्सुई एंड कंपनी (एशिया पैसिफिक) प्रा0 लि0 के व्यापारी/निर्यातक के रूप में शामिल किया है।

निष्कर्ष और सिफारिशें :

93. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों और उनमें उठाए गए मुद्दों की जांच करने तथा रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के बाद प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि :-

- (क) संबद्ध देशों से भारत में विचाराधीन उत्पाद के निर्यात, उनके सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर किए गए हैं, जिसके फलस्वरूप ऐसे उत्पाद का पाटन हुआ है।
- (ख) घरेलू उद्योग को आर्थिक क्षति हुई है।
- (ग) संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को आर्थिक क्षति हुई है।

94. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह जांच शुरू की गई थी और इसकी सूचना सभी हितबद्ध पक्षकारों को दी गई थी तथा निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के पहलुओं पर सार्थक सूचना प्रदान करने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था। पाटन-रोधी नियमावली के अनुसार को पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच शुरू की गई थी और उसका संचालन किया गया था तथा सार्थक पाटन मार्जिन के साथ-साथ ऐसे पाटित आयातों से घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति की पुष्टि हो जाने पर, प्राधिकारी का यह विचार है कि पाटन और क्षति के प्रतिकरण के लिए पाटन-रोधी शुल्क लगाए जाने की आवश्यकता है। इसलिए प्राधिकारी यह आवश्यक समझते हैं कि नीचे वर्णित रूप में और तरीके से संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयात पर निश्चयात्मक पाटन-रोधी शुल्क लगाया जाए।

95. प्राधिकारी द्वारा अपनाए जाने वाले कमतर शुल्क के नियम को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी इस प्रकार निर्धारित पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन में से कम मार्जिन के बराबर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क को लागू करने की सिफारिश करते हैं, ताकि घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर किया जा सके। तदनुसार संबद्ध देशों से मूल रूप से होने वाले अथवा किए जाने वाले निर्यात के लिए संबद्ध वस्तुओं के सभी आयातों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा नीचे तालिका में निर्दिष्ट राशि के बराबर पाटन-रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की जाती है :

शुल्क तालिका

क्रमांक	उपशीर्ष अथवा टैरिफ मद	वस्तुओं का विवरण	मूल देश	निर्यातक देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि मुद्रा	यूनिट	मुद्रा
1.	29071110	फिनोल	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य	मै. एलजी कैम लि.	बिनमार इंटरनेशनल लि. यूएसए, हरेश पेट्रोकेम सिंगापुर पीटीई लि., सिंगापुर, एम कार्पो., ह्यूंडे	शून्य	एमटी	अम.डा.

क्रमांक	उपशीर्ष अथवा टैरिफ मद	वस्तुओं का विवरण	मूल देश	निर्यातक देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि मुद्रा	यूनिट	मुद्रा
						कार्पोरेशन, कोरिया गणराज्य, आईसीसी कैमिकल कार्पो., यूएसए, केमपार एनर्जी पीटीई लि., सिंगापुर, डिनोविक पीटीई लि., सिंगापुर, हैजन मिडिल ईस्ट एफजेडई, यूएई, इंटेग्रा पेट्रोकेमिकल्स पीटीई लि., सिंगापुर, कांटेनैट इंटरनेशनल लि. हांगकांग और आक्साइड कैमिकल्स चाइना लि. हांगकांग			
2.	29071110	फिनोल	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य	मै. एलजी कैम लि.	क्रम सं. 1 से इतर कोई अन्य	77.19	एमटी	अम.डा.
3.	29071110	फिनोल	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य	कोई अन्य समूह	कोई अन्य समूह	77.19	एमटी	अम.डा.
4.	29071110	फिनोल	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य	मै. कुम्हो पीएंडबी कैमिक ल्स इंक	ह्यूमेड कार्पो. कोरिया गणराज्य, वूरी पीएंडसी कार्पोरेशन, कोरिया गणराज्य और केको मार्केटिंग इंक, कोरिया गणराज्य	शून्य	एमटी	अम.डा.
5.	29071110	फिनोल	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य	मै. कुम्हो पीएंडबी कैमिक ल्स इंक	क्रम सं. 4 से इतर कोई अन्य	77.19	एमटी	अम.डा.
6.	29071110	फिनोल	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य	कोई अन्य समूह	कोई अन्य समूह	77.19	एमटी	अम.डा.
7.	29071110	फिनोल	कोरिया गणराज्य	कोई	कोई	कोई	77.19	एमटी	अम.डा.
8.	29071110	फिनोल	संबद्ध देशों से इतर कोई अन्य	कोरिया गणराज्य	कोई	कोई	77.19	एमटी	अम.डा.
9.	29071110	फिनोल	सिंगापुर	सिंगापुर	मै. मितसुइ	मै. मितसुइ एंड कं. (एशिया पैसिफिक)	शून्य	एमटी	अम.डा.

क्रमांक	उपशीर्ष अथवा टैरिफ मद	वस्तुओं का विवरण	मूल देश	निर्यातक देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि मुद्रा	यूनिट	मुद्रा
					फेनाल्स सिंगापुर पीटीई लि.	पीटीई लि., सिंगापुर, हर्श पेट्रोकेम सिंगापुर पीटीई लि., सिंगापुर, मै. सुमितोमो कार्पो. एशिया एंड ओसियाना प्रा. लि. और पेट्रोकेम एशिया पीटीई लि., सिंगापुर			
10.	29071110	फिनोल	सिंगापुर	सिंगापुर	मै. मितसुइ फेनाल्स सिंगापुर पीटीई लि.	क्र.स. 9 से इतर कोई अन्य	219.58	एमटी	अम.डा.
11.	29071110	फिनोल	सिंगापुर	सिंगापुर	कोई अन्य समूह	कोई अन्य समूह	219.58	एमटी	अम.डा.
12.	29071110	फिनोल	सिंगापुर	कोई	कोई	कोई	219.58	एमटी	अम.डा.
13.	29071110	फिनोल	संबद्ध देशों से इतर कोई अन्य	सिंगापुर	कोई	कोई	219.58	एमटी	अम.डा.
13.	29071110	फिनोल	यूरोपीय संघ	यूरोपीय संघ	कोई	कोई	253.06	एमटी	अम.डा.
14.	29071110	फिनोल	यूरोपीय संघ	कोई	कोई	कोई	253.06	एमटी	अम.डा.
15.	29071110	फिनोल	संबद्ध देशों से इतर कोई अन्य	यूरोपीय संघ	कोई	कोई	253.06	एमटी	अम.डा.

*नोट: यदि अलग-अलग सीमा-शुल्क अधिसूचनाओं में किसी संबद्ध देश के संबंध में संबद्ध वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क का अतिव्यापन होता है तो संबद्ध देश पर वह शुल्क लागू होगा जो "उद्गम के देश" कॉलम के अंतर्गत विशेष रूप से उल्लिखित उक्त देश वाली सीमा-शुल्क अधिसूचना में उस पर लगाया गया हो।

96. इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ आयातों का पहुंच मूल्य सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962(1962 का 52) के अंतर्गत सीमाशुल्क द्वारा यथानिर्धारित आकलन योग्य मूल्य होगा और इसमें उक्त अधिनियम की धारा 3, 3क, 8 ख, 9 तथा 9क के अंतर्गत लगाए गए शुल्कों को छोड़कर सभी सीमा-शुल्क शामिल होंगे।

97. इस अंतिम जांच परिणाम संबंधी अधिसूचना के कारण केन्द्र सरकार के आदेश के खिलाफ कोई अपील सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम के अनुसार सीमा-शुल्क, उत्पाद-शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण में दायर की जा सकेगी।

ए. के. भल्ला, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(Directorate General of Anti Dumping and Allied Duties)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th January, 2016

(Final Findings)

Subject: Anti-dumping investigation concerning imports of Phenol originating in or exported from European Unions, Singapore and Korea RP -reg.

F No: 14/13/2014-DGAD: Having regard to Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules thereof, as amended from time to time.

A. BACKGROUND

1. Whereas the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) received a written application from M/s. Hindustan Organic Chemicals Limited (HOCL) and M/s. SI Group India Ltd (hereinafter referred to as the applicants or the petitioners) on behalf of the domestic industry, in accordance with the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter referred to as the Act) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the AD Rules or the Rules), alleging dumping of Phenol (hereinafter referred to as the subject goods), originating in or exported from the European Union (EU), Singapore and Korea RP (hereinafter referred to as the subject countries), and thus, for initiation of anti-dumping investigation and levy of anti-dumping duties on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries.
2. And whereas the Authority found sufficient prima facie evidence of dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries and injury to the domestic industry and causal link between dumping and injury and initiated the anti dumping investigation vide Notification No. 14/13/2014-DGAD dated 15th October, 2014 to investigate into the alleged dumping and consequent injury to the domestic industry, in terms of the Rules, and to determine the existence, degree and effect of the alleged dumping and recommend the amount of anti-dumping duty which, if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

B. PROCEDURE

3. The procedure described below has been followed:
 - (i) The Authority notified the Delegation of the European Union to India, the High Commission Singapore in India and the Embassy of Korea RP about the receipt of dumping allegation before proceeding to initiate investigation in accordance with the AD Rules.
 - (ii) The Authority, on the basis of sufficient evidence submitted by the applicants to justify initiation of the investigation, decided to initiate the investigation against imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries.
 - (iii) The Authority issued a public notice dated 15th October, 2014, published in the Gazette of India Extraordinary, initiating the anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods.
 - (iv) The Authority forwarded a copy of the public notice to all the known exporters (whose details were made available by the Applicants) and the industry associations and gave them opportunity to make their views known in writing within the prescribed time limit in accordance with the AD Rules.
 - (v) The Authority also forwarded a copy of the public notice to all the known importers of the subject goods in India and advised them to make their views known in writing within the prescribed time limit.
 - (vi) The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known exporters to the Delegation of the European Union to India, the High Commission Singapore in India and the Embassy of Korea RP in accordance with Rule 6(3) of the AD Rules. A copy of the application was also provided to the other interested parties, wherever requested.
 - (vii) The Authority sent questionnaires to elicit relevant information to the following known exporters in the subject countries in accordance with Rule 6(4) of the AD Rules:

- a. M/s. LG Chem Ltd, Korea RP
 - b. M/s. Kumho P& B Chemicals Inc, Korea RP
 - c. Mitsui Phenols Singapore Pte Ltd., Singapore
 - d. Chemoil Corporatrn, Korea RP
 - e. INEOS Phenol GmbH, Germany
 - f. Chemical Point UG, Germany
 - g. Chemical Point Benelux, Netherland
 - h. CEPESA Headquarters, Spain
 - i. CEPESA Quimica Belgium, Belgium
 - j. CEPESA Quimica Netherland, Netherland
 - k. Novapex, France
 - l. DOMO Caproleuna GmbH, Germany
 - m. Sky Petro-Chem Pte. Ltd., Singapore
 - n. Humade Corporation, Korea RP
- (viii) The following exporters/producer/traders responded and filed the exporter questionnaire response:
- a. LG Chem Ltd, Korea RP
 - b. Hyundai Corporation, Korea RP
 - c. M Corporation Korea, RP
 - d. Petrochem Asia Pte Ltd, Singapore
 - e. Mitsui & Co. (Asia Pacific) Pte Ltd, Singapore
 - f. Mitsui Phenols Singapore Pte Ltd, Singapore
 - g. Oxyde Chemicals China Ltd, Hong Kong/China
 - h. Sumitomo Corporation Asia and Oceana Pte Ltd
 - i. Canko Marketing Inc, Korea RP
 - j. Kumho P&B Chemicals, Korea RP
 - k. Woori P&C Corporation, Korea RP
 - l. Humade Corporation, Korea RP
 - m. Continent International Ltd, Honk Kong
 - n. Vinmar International Ltd, USA
 - o. Haresh Petrochem Singapore Pte Ltd, Singapore
 - p. ICC Chemical Corporation, USA
 - q. Dinowic Pte Ltd, Singapore
 - r. Hazel Middle East FZE, UAE
 - s. Integra Petrochemicals Pte Ltd, Singapore
 - t. Kempar Energy Pte Ltd, Singapore
- (ix) The questionnaires were also sent to the following known importers/users of the subject goods in India calling for necessary information in accordance with the AD Rules.
- a. M/s. C.J. Shah and Company
 - b. M/s. Haresh Kumar & Co., Mumbai
 - c. M/s. PCL Oil & Industries
 - d. M/s. Kantilal Manilal & Co. Pvt. Ltd.

- e. M/s. Sonkamal Enterprises, Mumbai
 - f. M/s. Khetan Brothers
 - g. M/s. Shubham Dyes & Chemicals Limited
 - h. M/s. Acron Enterprises
 - i. M/s. Naiknavare Chemicals Limited
 - j. M/s. Paras Dyes & Chemicals
 - k. M/s. Torrent Pharmaceuticals Limited, Gujarat
 - l. M/s. United Phosphorus Ltd. , Mumbai
 - m. M/s. Resins & Plastic Ltd.
 - n. M/s. Kailash Polymers
 - o. M/s. Centrum Metalics Pvt. Ltd.
 - p. M/s. Wonder Laminates Pvt. Ltd.
 - q. M/s. Meghdev Enterprises
 - r. M/s. Satguru International
 - s. M/s. Bleach Marketing Pvt. Ltd.
 - t. M/s. Karmen International (P) Ltd.
 - u. M/s. High Polymer Labs Ltd.
 - v. M/s. Rainbow colours & Chemicals
 - w. M/s. Krishna Antioxidants Pvt. Ltd.
 - x. M/s. NGP Industries Ltd.
 - y. M/s. Farmson Pharmaceutical Gujrat Ltd.
 - z. M/s. India Glycols Ltd.
 - aa. M/s. Singh Plasticisers and Resins (I) Pvt.
 - bb. M/s. National Plywood Industries Ltd.
 - cc. Kundan Rice Mills Ltd.
- (x) One importer and user, namely, Sandeep Organics Pvt Ltd, Mumbai, responded to the investigation.
 - (xi) None of importers/consumers has filed response to the importers questionnaire.
 - (xii) The Authority held a public hearing on 16th September, 2015 to provide an opportunity to the interested parties to present their views orally in accordance with the Rules. The parties who attended the oral hearing were advised to file written submissions of the information presented orally. The interested parties were allowed to present rejoinders on the views/information presented by the other interested parties. The Authority has considered submissions received from the interested parties appropriately.
 - (xiii) The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties.
 - (xiv) The information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to the sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted, and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, the parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non confidential version of the information filed on confidential basis.
 - (xv) Further information was sought from the applicants and other interested parties to the extent deemed necessary.
 - (xvi) The Authority has examined the information furnished by the domestic producer to the extent possible on the basis of guidelines laid down in Annexure III to work out the cost of production and the non-injurious price of the subject goods in India so as to ascertain if anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.

- (xvii) The period of investigation for the purpose of the present investigation was from 01.04.2013 to 31.03.2014. However, for the purpose of analyzing injury, the data of previous three years, i.e., 2010-11, 2011-12, 2012-13 and the period of investigation has been considered.
- (xviii) At the request of the Authority, the Central Government granted extension of time upto 14.01.2016 for completing the investigation and notifying the final findings.
- (xix) A Disclosure Statement containing the essential facts in this investigation which would have formed the basis of the Final Findings was issued to the interested parties on 06.01.2016. The post Disclosure Statement submissions have been considered, to the extent found relevant, in this Final Findings Notification.
- (xx) *** in this Final Findings Notification represents information furnished by the interested parties on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- (xxi) Exchange rate for conversion of US\$ to Rs considered for the POI is US\$ 60.85.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

Views of the Domestic Industry

4. The views of the domestic industry are as follows:

- a. The product under consideration is Phenol originating and exported from the European Union, Singapore and Korea RP.
- b. Phenol is a basic organic chemical normally classified under Chapter 29 of the Customs Tariff Act. The product is marketed in two forms- bulk and packed. Bulk sales are normally in loose form, whereas packed consignments can be of much smaller container loads and generally packed in drums. Phenol is used in Phenol Formaldehyde Resins, Laminates, Plywood, Particle Boards, Bisphenol- A, Alkyl Phenols, Pharmaceuticals, Diphenyl Oxide etc. This product is classified under the Customs Tariff heading no. 29071110.
- c. The Customs and ITC HS classifications are, however, indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation.
- d. The goods produced by the domestic industry are like article to the imported product in terms of parameters such as physical & technical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification.

Views of the other interested parties

5. None of the importers, consumers, exporters and other interested parties filed any comment or submissions with regard to product under consideration and the like articles.

Examination by the Authority

6. The product under consideration in the present investigation is "Phenol". Phenol is a basic organic chemical normally classified under Chapter 29 of the Customs Tariff Act. The product is marketed in two forms- bulk and packed. Bulk sales are normally in loose form, whereas packed consignments can be of much smaller container loads and generally packed in drums. Phenol is used in Phenol Formaldehyde Resins, Laminates, Plywood, Particle Boards, Bisphenol-A, Alkyl Phenols, Pharmaceuticals, Diphenyl oxide etc. The product is classified under Customs Tariff heading no. 29071110. However, the said Customs classification is indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation.

7. Rule 2(d) of the AD Rules defines like article as follows:

An article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in absence of such article, another article which although not alike in all respects, has the characteristics closely resembling those of the articles under investigation.

8. The Authority notes that there is no known difference in subject goods produced by the domestic industry and exported from the subject countries. The subject goods produced by the domestic industry and that imported from subject countries are comparable in terms of characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers are using the two interchangeably. In view of the same, the subject goods produced by the domestic industry are being treated as domestic like article to the product under consideration imported from the subject countries in accordance with the anti-dumping Rules.

D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING**Views of Domestic Industry**

9. The views of the Domestic Industry are as follows:

- a. The petition has been jointly filed by M/s. Hindustan Organic Chemicals Limited and M/s. SI Group India Ltd.
- b. M/s. SI Group India Ltd and M/s. HOCL are the only domestic producers of the product concerned and, therefore, constitute 100% of the total Indian domestic production.
- c. The petitioners are multi product companies.
- d. M/s. HOCL has not imported the subject goods from subject countries and is neither related to the exporters or importers of the product under consideration.
- e. M/s. SI Group India Ltd has imported the subject goods from the subject countries under duty exemption scheme as well as after paying custom duty. However, the imports have been made primarily for captive consumption for production of downstream products. The company is not related to any exporter or importer of the dumped goods.
- f. M/s. SI Group has made majorly duty free imports which are not relevant to present investigation as such imports are only for export purposes.

Views of other interested parties

10. The views of other interested parties are as follows:

- a. SI Group is an importer and, therefore, not a domestic industry. SI Group has made-substantial imports of the subject goods in the POI.
- b. SI Group has benefitted from the imports as it was able to competitively price its downstream product in the export market. Therefore, it should be excluded from the scope of the “domestic industry”.
- c. Either SI Group should be excluded from the scope of domestic industry on account of its significant imports under advance license scheme or the advance license imports themselves must be excluded from the dumping and injury analysis.

Examination of Authority

11. Rule 2(b) of the AD rules defines domestic industry as under:

(b) “domestic industry” means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that like article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged; dumped article or are themselves importers thereof in such case the term ‘domestic industry’ may be construed as referring to the rest of the producers.

12. The petition has been filed by M/s. Hindustan Organic Chemicals Ltd and SI Group India Ltd. The petitioners are the only producers of the product concerned in India and, therefore, account for the total Indian production. Further, HOCL has not imported the subject goods, while SI Group has imported under the duty exemption scheme as well as after paying the custom duty. These imports are for captive consumption majorly and, thus, these imports have no bearing on the domestic market and, therefore, have no impact on the standing of SI Group as domestic industry.
13. The Authority notes that the imports made by SI Group India Ltd were not made available in the market. Therefore, the Authority holds that the imports made by SI Group did not disqualify it from being a part of the domestic industry.
14. Both the applicants are not related to any importer or exporter of the product under consideration. It is thus determined that the application made on behalf of the domestic producers satisfies the requirements of ‘standing’ under Rule 5 of the AD Rules. Further, HOCL and SI Group constitute ‘domestic industry’ in terms of Rule 2(b) of the AD Rules.

E. MISCELLANEOUS ISSUES**Views of the Domestic Industry**

15. Views of the domestic industry are as follows:

- a. In the mid-term review concerning the present subject countries, the anti dumping duties were revoked when all price parameters showed improvement. However, in the present case it is quite clear that there is deterioration in profits, ROCE and cash profits which is attributable to dumped imports.

Views of other interested parties

16. Views of other interested parties are as follows:

- a. The Mid Term Review investigation led to withdrawal of the anti dumping duty after spot verification. Domestic industry did not challenge the midterm review final finding and they shouldn't be allowed to question the same at this stage.
- b. Petitioners have exceedingly relied on anti dumping duties for over a decade. Despite the buffer of duties, HOCL was classified as a sick company by the BIFR under the SICA and has remained so for nearly a decade now.
- c. Despite the adjustment plans presented in the safeguards investigation, the petitioner's capacity remains at the same level as in 1999.

Examination of Authority

17. As regards the contention that HOCL's Phenol plant has been shut in the past and has been declared a sick industry earlier and is seeking undue protection from the government, the Authority notes that the present situation falls within the purview of anti dumping law. The Authority recommends any measures or duty only after following the legal requirements. Irrespective of the history, every case is examined for a fresh period of investigation on its independent merits.

F. ASSESSMENT OF DUMPING – METHODOLOGY AND PARAMETERS**Determination of Normal Value, Export Price and Dumping Margin****Views of the domestic industry**

18. Views of the domestic industry are as follows:

- a. Efforts were made to get information regarding prices at which Phenol is being sold by the exporters and producers in their respective domestic market. Efforts were also made to get price lists or quotations of producers of the subject goods in the subject countries. However, because the product is generally not sold at retail level, no information was available to the domestic industry. Normal value has, therefore, been constructed for the subject countries.
- b. Cost of production has been determined considering Benzene prices as reported in Platts Report prevailing in the region. The power costs have been taken as applicable costs and other conversion cost has been taken as per the domestic industry.
- c. Export price has been determined as weighted average import price of the product under consideration after making due adjustments.
- d. The dumping margin is calculated on the basis of normal value and export price and is substantial.

Views of other interested parties

19. Views of the other interested parties are as follows:

- a. The injury margin calculations are without basis and should be rejected.
- b. Landed price alleged by the petitioners is not representative of the landed price for imports from Singapore.
- c. Petitioners have not provided any actual data to support their averments regarding the normal value and the export price while the exporters have provided detailed information. Therefore, the Authority may consider the exporters' information to calculate the dumping margin.
- d. Kumho P&B's selling price to India is not only higher than selling price in the domestic market and cost of production, but it is also highest when compared to other global exporters to India.
- e. Kumho has provided all responses and not received any request related to deficiency or clarifications by Authority or any objections by the Domestic Industry. Therefore, Kumho are fully cooperating.

- f. Kumho has no objection to monthly dumping margin determination.
- g. Kumho has not indulged in any dumping on any basis.
- h. The few transactions by Kumho are representative for DM determination as per the established practices and precedents of the Authority including in the MTR in the prior case.
- i. There is no requirement of complete export transaction chain as per the ADA or the practice in other leading jurisdictions. Moreover, Kumho has provided the complete transaction chain in respect of the few exports of KPB produce to India during the POI of Phenol.
- j. Domestic Industry's submission with regard to Duty Drawback may not be adopted.
- k. LG Chem has made exports directly and through non-related traders. All the traders have provided Exporters' Questionnaire Response to complete the value chain. This is despite nominal quantity of exports and no interest in the Indian market.

Examination of Authority

20. Under section 9A (1) (c), the normal value in relation to an article means:

- (i) The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article, when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6), or
- (ii) When there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either:
 - (a) Comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or
 - (b) The cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6).

21. As regards the submission that there should be individual dumping/injury margin determinations for each co-operating unaffiliated producer/trader combination separately, the Authority notes that the dumping margin and injury margin determinations in the present investigation are consistent with the established practice of the DGAD and the Rules in this regard.

22. As regards the contention that a few transactions of imports from Korea RP cannot injure the domestic industry, the Authority notes that it has made injury analysis separately under relevant headings.

23. As regards the submission for determination of dumping margin and injury margin on a monthly basis, the Authority notes that the relevant data has been analyzed on monthly basis in the present investigation in view of fluctuations in the prices of the raw materials.

24. The Authority sent questionnaires to the known exporters/producers from the subject countries, advising them to provide information in the form and manner prescribed. The following producers/exporters from the subject countries have filed exporter's questionnaire response:

- (i) LG Chem Ltd, Korea RP
- (ii) Hyundai Corporation, Korea RP
- (iii) M Corporation Korea, RP
- (iv) Petrochem Asia Pte Ltd, Singapore
- (v) Mitsui & Co. (Asia Pacific) Pte Ltd, Singapore
- (vi) Mitsui Phenols Singapore Pte Ltd, Singapore
- (vii) Oxyde Chemicals China Ltd, Hong Kong/China
- (viii) Sumitomo Corporation Asia and Oceania Pte Ltd
- (ix) Canko Marketing Inc, Korea RP
- (x) Kumho P&B Chemicals, Korea RP

- (xi) Woori P&C Corporation, Korea RP
- (xii) Humade Corporation, Korea RP
- (xiii) Continent International Ltd, Honk Kong
- (xiv) Vinmar International Ltd, Korea RP
- (xv) Haresh Petrochem Singapore Pte Ltd, Singapore
- (xvi) ICC Chemical Corporation, USA
- (xvii) Dinowic Pte Ltd, Singapore
- (xviii) Hazel Middle East FZE, UAE
- (xix) Integra Petrochemicals Pte Ltd, Singapore
- (xx) Kempar Energy Pte Ltd, Singapore

Determination of Normal Value for Korea RP

Normal Value for cooperative producers/exporters from Korea RP

25. M/s. LG Chem Ltd has responded and provided the information in prescribed format. The cost of production of the respondent has been compared with the transaction wise domestic sales and it was found that in most of the months, more than 80 % sales were profitable. Therefore, wherever more than 80% of sales were profitable, the Authority has determined the normal value on the basis of the total sales. However, wherever less than 80% of sales were profitable, the Authority has determined the normal value on the basis of only profitable sales. The adjustments on account of inland freight and credit cost as claimed have been allowed. Accordingly, the normal value worked out on the basis of domestic selling price is indicated in the Dumping Margin Table below.

M/s. Kumho P&B Chemicals Inc, Korea RP (Producer)

26. M/s. Kumho P&B Chemicals Inc has responded and provided the information in prescribed format. The cost of production of the respondent has been compared with the transaction wise domestic sales and it was found that the company has exported to India only in the two months of the POI and less than 80% of sales were profitable. Therefore, the Authority has determined the normal value on the basis of the total profitable sales only. The adjustments on account of inland freight and credit cost as claimed have been allowed. Accordingly, the normal value worked out on the basis of domestic selling price is indicated in the Dumping Margin Table below.

Normal Value for non-cooperative producers/exporters from Korea RP

27. The Authority notes that no other producer/exporter from Korea RP has submitted the exporter's questionnaire response. Therefore, the normal value as determined for the cooperating producer from Korea RP has been adopted for the non cooperative producers/exporters from Korea RP on the basis of facts available. Accordingly, the normal value so determined is as indicated in the Dumping Margin Table below.

Determination of Normal Value for Singapore

Normal Value for cooperative producers/exporters from Singapore

M/s. Mitsui Phenols Singapore Pte Ltd, Singapore (Producer)

28. M/s. Mitsui Phenols Singapore Pte Ltd has responded and provided the information in prescribed format. The cost of production of the respondent has been compared with the transaction wise domestic sales and it was found that in most of the months more than 80 % sales were profitable. Therefore, wherever more than 80% of domestic sales were profitable, the Authority has determined the normal value on the basis of the total sales. However, in a particular month where less than 80% of the domestic sales were profitable, the Authority has determined the normal value on the basis of only profitable sales for that month. Further, during one of the months of the POI the profitable sales were minimal and, therefore, for that month the Authority has determined the normal value on the basis of cost of sales and reasonable profit for that month. The adjustments on account of inland freight and credit cost as claimed have been allowed. Accordingly, the normal value worked out on the basis of domestic selling price is indicated in the Dumping Margin Table below.

Normal Value for non-cooperative producers/exporters from Singapore

29. The Authority notes that no other producer/exporter from Singapore has submitted the exporter's questionnaire response. Therefore, the normal value as determined for the cooperating producer from Singapore has been adopted for the non cooperative producers/exporters from Singapore. Accordingly, the normal value so determined is as indicated in the Dumping Margin Table below.

Determination of Export Price for Korea RP**Export Price for cooperative producers/exporters from Korea RP****M/s. LG Chem Ltd, Korea RP (Producer)**

30. The Authority notes that M/s. LG Chem Ltd, Korea RP (Producer) has exported the subject goods directly as well as through its un-related traders/exporters, namely, Vinmar International Ltd, USA, Haresh Petrochem Singapore Pte Ltd, Singapore, M Corporation, Hyundai Corporation, Korea RP, ICC Chemical Corporation, USA, Kempar Energy Pte Ltd, Singapore, Dinowic Pte Ltd, Singapore, Hazel Middle East FZE, UAE, Integra Petrochemicals Pte Ltd, Singapore, Continent International Ltd, Hong Kong and Oxyde Chemicals China Ltd, Hong Kong. These traders/exporters have submitted the exporters' questionnaire response but the data in the questionnaire response of M Corporation was found to be incomplete and, therefore, not considered. M/s. LG Chem Ltd, Korea RP has exported total of 58,494 MT of the subject goods, out of which 2,877 MT has been exported by the company directly and 46,438 MT has been made through above mentioned un-affiliated cooperative traders/exports excluding M/s. M Corporation. The adjustments claimed by the producer and traders/exporters are being considered for determination of net export price, i.e., inspection fee, international freight, interest, clearing & handling charges, bank charges, wherever applicable. The net export price for M/s. LG Chem Ltd, Korea RP (Producer) and its un-related cooperative traders/exporters so determined is as indicated in the Dumping Margin Table below.

M/s. Kumho P&B Chemicals Inc, Korea RP (Producer)

31. The Authority notes that M/s. Kumho P&B Chemicals Inc, Korea RP (Producer) has exported the subject goods through its un-related traders/exporters, namely, Humade Corporation, Korea RP, Woori P and C Corporation, Korea RP and Canko Marketing Inc., Korea RP. These traders/exporters have submitted the exporters' questionnaire response. M/s. Kumho P&B Chemicals Inc has exported a total of 48 MT of the subject goods through the above mentioned un-affiliated cooperative traders/exports. The adjustment claimed by the producer and traders/exporters is being considered for determination of net export price, i.e., packing expenses, inland freight, inspection fee, international freight, credit expenses, bank charges and duty drawback, wherever applicable. The net export price for M/s. Kumho P&B Chemicals Inc, Korea RP (Producer) and its un-related cooperative traders/exporters so determined is as indicated in the Dumping Margin Table below.

Non-cooperative exporters from Korea RP

32. The Authority notes that no other exporter/producer from Korea RP has responded to the Authority in the present investigation. Therefore, the Authority proceeds to determine the net export price based on the facts available. Accordingly, the export price so determined is as indicated in the Dumping Margin Table below.

Export Price for cooperative producers/exporters from Singapore**M/s. Mitsui Phenols Singapore Pte Ltd, Singapore (Producer)**

33. The Authority notes that M/s. Mitsui Phenols Singapore Pte Ltd, Singapore (Producer) has exported a total of 20,138.7 MT of the subject goods through one related and cooperative trader/exporter, namely, M/s. Mitsui & Co. (Asia Pacific) Pte. Ltd, Singapore (17,190 MT) and un-related and cooperative trader/exporters, namely, M/s. Sumitomo Corporation Asia and Oceana Pvt Ltd and Petrochem Asia Pte Ltd, Singapore (2,949 MT). These traders/exporters have submitted the exporters' questionnaire response. The adjustments claimed by the producer and traders/exporters are being considered for determination of net export price, i.e., bank charges etc, wherever applicable. The net export price for Mitsui Phenols Singapore Pte Ltd, Singapore (Producer) and its related and un-related cooperative traders/exporters so determined is as indicated in the Dumping Margin Table below.

Non-cooperative exporters from Singapore

34. The Authority notes that no other exporter/producer from Singapore has responded to the Authority in the present investigation. Therefore, the Authority proceeds to determine the net export price based on the facts available. Accordingly, the export price so determined is as indicated in the Dumping Margin Table below.

Determination of Normal Value for European Union (EU)

35. None of the producer/exporter from EU has cooperated with the Authority with questionnaire response. As provided under the law, the Authority is required to consider the selling price of the product when meant for consumption in the domestic market of EU for determining the normal value in EU. The petitioner has provided the details of the normal value in EU on the basis of the price of the subject goods published in ICIS. The Authority notes that in the absence of any response from any EU producer in the form and manner prescribed, the normal value cannot be determined on the basis of questionnaire response of a producer in EU. The Authority has, therefore, determined the normal value for all the producers/exporters in EU on the basis of ICIS prices for bulk Phenol. For packed Phenol, the packing cost based on the Domestic Industry's cost has been adopted. Accordingly, the normal value so determined is as indicated in the Dumping Margin Table below.

Export Price for producers/exporters from European Union (EU)

36. Since none of the exporters from EU has responded to the Authority, the Authority has determined Export Price in respect of imports from EU on the basis of best information available in accordance with Rule 6(8) of the AD Rules. The Authority has procured and considered the transaction wise import data from the DGCI&S and determined the export price considering all imports of the product under consideration in India from EU. Price adjustments on account of inland freight, ocean freight, marine insurance, commission, bank charges and port expenses as claimed by the petitioner domestic industry have been allowed in view of non cooperation from the exporters from EU. The export price has been determined at ex-factory level as stated in the below table.

Dumping Margin Table

37. Considering the Normal Values and the Export prices as determined as above, the Dumping Margin for the producers/exporters from the subject countries is determined as follows:

Country	Producers/ Exporters	Normal Value USD/MT	Net Export Price USD/MT	Dumping Margin USD/MT	Dumping Margin (%)	Dumping Margin Range (%)
Korea RP	M/s. LG Chem Ltd, (Producer) and Vinmar International Ltd, USA, Haresh Petrochem Singapore Pte Ltd, Singapore, Hyundai Corporation, Korea RP, ICC Chemical Corporation, USA, Kempar Energy Pte Ltd, Singapore, Dinowic Pte Ltd, Singapore, Hazel Middle East FZE, UAE, Integra Petrochemicals Pte Ltd, Singapore and Continent International Ltd, Hong Kong and Oxyde Chemicals China Ltd, Hong Kong (Exporters)	***	***	***	***	(-)ve
	M/s. Kumho P&B Chemicals Inc (Producer) and Humade Corporation, Korea RP, Woori P and C Corporation, Korea RP and Canko Marketing Inc., Korea RP (Exporters)	***	***	***	***	(-)ve
	Any other combination	***	***	***	***	0-10%
Singapore	M/s. Mitsui Phenols Singapore Pte Ltd (Producer), M/s. Mitsui & Co. (Asia Pacific) Pte. Ltd, Singapore & M/s. Sumitomo	***	***	***	***	0-10%

	Corporation Asia and Oceania Pvt Ltd, Singapore and Petrochem Asia Pte Ltd, Singapore (Exporters)					
	Any other combination	***	***	***	***	10-20%
European Union	All producers and exporters	***	***	***	***	65-75%

G. INJURY ASSESSMENT

Views of Domestic Industry

38. The domestic industry has submitted as follows:

- a. The costing data has been updated as per the actual data available as against the earlier provisional data.
- b. The data shows intensified dumping due to imports from the subject countries.
- c. The injury information has been segregated to the extent feasible.
- d. Appropriate cumulative assessment was done.
- e. Demand for the PUC has increased consistently, while the sales of the domestic industry declined. Imports from the subject country increased significantly in the period of investigation.
- f. Apart from increase in absolute terms, imports have increased in relation to production and consumption.
- g. The market share of imports from the subject countries increased significantly, whereas the market share of domestic industry declined throughout the injury period.
- h. There is significant price undercutting as well as price suppression.
- i. A comparison of NIP and landed price of imports shows that imports are underselling the domestic industry prices.
- j. Performance of the domestic industry has deteriorated in terms of production, capacity utilization, domestic sales, profitability, PBIT, cash profits, profits, return on capital employed, market share, employment and productivity.
- k. The inventories have declined. However, the decline is primarily due to the suspension of production by one of the constituents of the domestic industry.
- l. The growth has also deteriorated on account of various parameters.

Views of other interested parties

39. The other interested parties have submitted as follows:

- a. There are many inconsistencies in the petition which detrimentally impact the calculation of injury and dumping margin. Contradictory dumping margins are shown at different pages of petition. Three varied landed prices for imports have been used for price effect analysis. Price undercutting is shown in the range of 0-10 at one place and 6-10 at another. Import volume and value figures are also not consistent.
- b. There is a severe breach of causality. When import price increased, the price of the petitioner declined and, therefore, there is no correlation. Even when the import price has remained constant, the profitability has fallen continuously.
- c. Injury suffered by HOCL is due to other factors such as internal inefficiencies, inability to keep growing with the market, failure to make any improvement in its production facility or process. Therefore, the injury cannot be attributed to subject imports.
- d. The injury margin calculations are without basis and should be rejected.
- e. Landed price alleged by the petitioners is not representative of the landed price for imports from Singapore.
- f. There are various non-attribution factors that exist. HOCL has faced severe plant shutdowns recently. A severe shortage of working capital has led to stoppage in production. There is inconsistency regarding the cost of sales, selling price and profit and loss.
- g. Subject imports are not causing injury as they form less than 50% of the total imports which are either under investigation or attracting duty.

- h. Fresh injury data should be called which excludes SI Group data and advance license imports.
- i. Petitioners have claimed but not segregated information by providing data for narrowest group of products wherever such information was not available. Petitioners must be requested to identify the fields and parameters where such bifurcation of data has not been possible.
- j. The petitioners' claim for cumulative assessment should be rejected as it is without actual analysis.
- k. Sales are low due to decline in production on account of plant shutdowns. There is absence of correlation between imports from the subject countries and the sales of the DI.
- l. Increase in imports is precipitated by the market conditions.
- m. Due to the negligible increase in capacity of petitioners over the last ten years, their market share is bound to show declining trend even if operating at 100% capacity utilization.
- n. Price undercutting is inconsistent in the petition and written submissions and, therefore, cannot be taken. Petitioners have not given data for landed value in the post POI because that would've reflected negative price undercutting.
- o. The price suppression is due to other factors and not because the landed price is below the cost of production. The rate of increase in selling price is not reflective of the rate of increase in the imports.
- p. Petitioners have not given data for previous years to prove price underselling which renders analysis ineffective. However, the price underselling is due to the petitioners' inability to sell their products for the price that is sold by exporters and thus sell their subject goods for a lower price.
- q. There is no evidence to show that decline in the economic parameters affecting the domestic industry is due to the increase in imports.
- r. There is no causal link between import price and profitability as both are showing inverse relationship.
- s. There is a greater decline in the decrease in wages that it is in the productivity of the employees. Therefore, the decline in employment is due to the company being unable to sustain itself.
- t. Inventories have evidently declined.
- u. The exporters have fully cooperated in the investigation and accordingly an individual margin may be afforded to them.
- v. KPB's selling price to India is not only higher than selling price in the domestic market and cost of production, but also highest when compared to other global exporters to India.
- w. The production and sales volume of Domestic Industry do not exhibit any injurious effect of imports.
- x. Domestic Industry has very less production capacity as compared to demand.
- y. There are factual errors in the injury analysis.
- z. The existing law should be complied with for computing the non-injurious price.
- aa. There is no causal link. The increase in market share of imports is because of the more than doubled domestic consumption in India without a corresponding increase in the domestic production.
- bb. There is no threat of injury by Kumho as it has sufficient domestic and third country sales and no surplus. Further, KPB increasingly captively consumes Phenol for their own increasing BPA production which is doing well in Korean and third country export markets.
- cc. There is no injury attributable to Kumho. There is no dumping by Kumho nor any price underselling, price depression, price undercutting or price suppression as alleged by Kumho.
- dd. The admitted increase in price by domestic industry by way of increase in indexed landed value is sufficient to disprove both the allegations of price undercutting and of any causal link.
- ee. The capacity of domestic industry has remained stable. Imposition of anti dumping duty is not in interest of downstream industries and consumers as the domestic industry's capacity is insufficient to meet demand in India.
- ff. The injury data of both HOCL and SI Group India Ltd should be examined by the Authority for an objective analysis.

Examination by the Authority

40. The Authority has taken note of various submissions of the interested parties on injury to the domestic industry and has analyzed injury to the domestic industry considering the facts available on record and applicable law. The

submissions made by the interested parties have been considered to the extent found relevant and examined as follows in the relevant headings.

41. With regard to the contention that there are inconsistencies in the petition, the Authority notes that it has accepted the updated costing information in the view of one year being elapsed since the initiation and only provisional information being available earlier.
42. With regard to the contention of severe breach of causality, the Authority has made a separate analysis of causal link under appropriate heading. However, it notes that there are significant volumes of imports from various sources.
43. As regards the contention that injury to HOCL is on account of its own inefficiencies, the Authority notes that HOCL has in fact made profits in the past. Therefore, the deterioration in performance and consequent injury to the domestic industry cannot be attributed to these parameters. Further, the Authority notes that despite the anti-dumping duties in the past many years, the domestic industry has faced the incessant dumping from various sources.
44. As regards the contention that injury margin calculations are baseless, the Authority has made its analysis under appropriate headings.
45. As regards the contentions pertaining to non-attribution factors, the Authority has made a separate analysis under appropriate headings.
46. Annexure-II of the AD Rules provides for an objective examination of both, (a) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices, in the domestic market, for the like articles; and (b) the consequent impact of these imports of the domestic producers of such articles. With regard to the volume effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute term or relative to production or consumption in India. With regard to the price effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress the prices to a significant degree, or prevent price increases, which would have otherwise occurred to a significant degree.
47. As regards the impact of the dumped imports on the domestic industry, para (iv) of Annexure-II of the AD Rules states as follows:

“The examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry concerned shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the Industry, including natural and potential decline I sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of margin of dumping actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment wages growth, ability to raise capital investments”
48. For the examination of the impact of imports on the domestic industry in India, the Authority has considered indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales quantum, stock, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping etc in accordance with Annexure II(iv) of the Rules supra.

Cumulative Assessment

49. Annexure II (iii) of the Anti Dumping Rules provides that in case imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to anti dumping investigations, the Designated Authority will cumulatively assess the effect of such imports, in case it determines that:-
 - a. The margin of dumping established in relation to imports from each country/territory is more than two percent expressed as percentage of export price and the volume of the imports from each country is three percent of the imports of the like article or where the export of the individual countries is less than three percent, the imports cumulatively accounts for more than seven percent of the imports of like article, and;
 - b. Cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in light of conditions of competition between the imported articles and the like domestic articles.
50. In the present case, it is noted that:
 - a. The margin of dumping from each of the subject countries is more than the limits prescribed;
 - b. The volume of imports from each of the subject countries is more than the limits prescribed;
 - c. Cumulative assessment of the effects of imports is appropriate since the exports from the subject countries compete not only with the like goods offered by each of them but also the like goods offered by the domestic industry in the Indian market.

51. In view of the above, the Authority considers it appropriate to cumulatively assess the effect of imports.
52. The Authority has analyzed injury to the domestic industry after analyzing the information submitted by the interested parties.

Assessment of Demand

53. The Authority has determined the demand as the sum of domestic sales of the domestic industry, sales of other Indian producers and imports of the subject goods in India from all sources. The demand so assessed is shown in the following table.

SN	Particulars	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
	Demand in India					
1	Sales of Domestic Industry	MT	80,021	67,361	61,185	46,948
2	Imports from subject countries	MT	15,441	11,752	16,135	84,112
	- EU	MT	10,870	10,047	104	21,430
	- Korea RP	MT	3,425	872	15,533	44,494
	- Singapore	MT	1,146	832	498	18,188
3	Countries Attracting ADD	MT	84,448	1,20,868	1,50,940	1,00,577
4	Other Countries	MT	18,647	8,926	1,574	132
5	Demand	MT	198,556	208,906	229,835	231,769

54. The Authority notes that the demand of the subject goods has shown a positive trend throughout the injury period.

Volume Effects of dumped imports

a. Import Volumes and market share

55. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in the dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. For the purpose of injury analysis, the Authority has relied on the transaction wise import data procured from the DGCI&S. The volume of imports of the subject goods from the subject countries has been analyzed as under:

A	Imports - (Volume)	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	2013-14
1	Subject Countries	MT	15,441	11,752	16,135	84,112
2	EU	MT	10,870	10,047	104	21,430
3	Korea RP	MT	3,425	872	15,533	44,494
4	Singapore	MT	1,146	832	498	18,188
5	Countries Attracting ADD	MT	84,448	1,20,868	1,50,940	1,00,577
6	Other Countries	MT	18,647	8,926	1,574	132
7	Total	MT	118,536	141,545	168,649	1,84,821
B	Market share in imports					
1	Subject Countries	%	12.81	7.03	9.57	45.51
2	EU	%	8.95	5.83	0.06	11.60
3	Korea RP	%	2.89	0.62	9.21	24.07

A	Imports - (Volume)	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	2013-14
4	Singapore	%	0.97	0.59	0.30	9.84
5	Countries Attracting ADD	%	71.24	85.39	89.50	54.54
6	Other Countries	%	15.95	7.57	0.93	0.07
7	Total Imports	%	100.00	100.00	100.00	100.00
8	Imports in relation to consumption in India	%	7.64	4.77	7.02	36.29
9	Imports in relation to production in India	%	18.79	14.75	26.93	181.40
C	Market Share in Demand					
1	Sales of Domestic Industry	%	40.30	32.24	26.62	20.25
2	Imports from subject countries	%	7.78	5.63	7.02	36.29
3	Countries Attracting ADD	%	42.53	57.86	65.67	43.40
4	Other Countries	%	9.53	5.13	0.69	0.06
5	Total	%	100.00	100.00	100.00	100.00

56. The Authority notes that the total imports during the injury investigation period grew significantly when compared with the base year. The Authority notes that the subject goods are attracting anti dumping duty on imports from several countries and anti-dumping investigations are in progress against several other countries. The imports from countries which are already attracting anti dumping duties have also increased significantly. Imports from subject countries have also shown a significant increase. The share of imports in market share has also increased to a significant extent.

Price Effects of the Dumped Imports

Price Undercutting

57. In order to determine whether the imports are undercutting the prices of the domestic industry in the market, the Authority has compared landed price of imports with net sales realization of the domestic industry.

Particulars	UOM	EU	Korea	Singapore	Subject countries
Landed value of imports	Rs./MT	***	***	***	***
Net Sales Realization	Rs./MT	***	***	***	***
Price Undercutting	Rs./MT	***	***	***	***
	%	***	***	***	***
	Range	5-15%	0-10%	0-10%	0-10%

58. It is noted that the landed price of the subject goods from the subject countries is substantially below the selling price of domestic industry showing significant price undercutting being caused by the dumped imports from the subject countries.

Price Underselling

59. The Authority has also examined price underselling suffered by the domestic industry on account of dumped imports from the subject countries as follows:

Particulars	UOM	EU	Korea	Singapore	Subject countries
Non Injurious Price	Rs./MT	***	***	***	***
Landed Value	Rs./MT	***	***	***	***
Price Underselling	Rs./MT	***	***	***	***
	%	***	***	***	***
	Range	10-20%	0-10%	5-15%	5-15%

60. It is noted that the domestic industry has suffered significant price underselling during the investigation period on account of imports of the subject goods from the subject countries.

Price Suppression and Depression

61. In order to determine whether the dumped imports are suppressing or depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred to a significant degree, the Authority considered the changes in the costs and prices over the injury period.

Particulars	UOM	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
Cost of Sales	Rs./MT	***	***	***	***
	Indexed	100	111	136	158
Selling Price	Rs./MT	***	***	***	***
	Indexed	100	94	97	106
Landed Value – subject countries	Rs./MT	***	***	***	***
	Indexed	100	117	116	121

62. The Authority notes that whereas both the cost of production and selling price have increased when compared with the base year, the increase in selling price is much below the increase in the cost of sales. Thus the imports are suppressing the domestic prices in the injury period.

Economic parameters of the domestic industry

63. Annexure II to the AD Rules requires that a determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of like product. With regard to consequent impact of these imports on domestic producers of such products, the Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. An examination of performance of the domestic industry reveals that the domestic industry has suffered material injury.

64. Various injury parameters relating to the domestic industry are discussed below:

(a) Capacity, Production, Capacity Utilization and sales

65. Information on capacity, production, capacity utilization and sales volumes of the domestic industry has been as under:-

Sl. No.	Particulars	UOM	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1	Capacity	MT	74,200	74,200	76,750	76,750
2	Production	MT	80,796	67,500	59,921	46,369
3	Capacity utilization	%	108.89%	90.97%	78.07%	60.42%
4	Domestic Sales	MT	77,521	64,427	54,316	41,109
5	Demand	MT	198,556	208,906	229,835	236,269

66. It is noted that the capacity utilization has significantly declined throughout the injury period along with the production which has dismally declined. The trend in production and sales is despite the remarkable increase in import volumes.

(b) Market Share

67. The effects of the dumped imports on the domestic sales and the market share of the domestic industry have been examined below:

Market Share in Demand	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
Sales of Domestic Industry	%	40.30	32.24	26.62	20.25
Imports from subject countries	%	7.78	5.63	7.02	36.29
Countries Attracting ADD	%	42.53	57.86	65.67	43.40
Other Countries	%	9.53	5.13	0.69	0.06
Total	%	100.00	100.00	100.00	100.00

68. The Authority notes that the market share of the domestic industry has declined throughout the injury period, whereas the market share of the imports from the subject countries has prominently and significantly improved.

(c) Profits, Return on Capital Employed and Cash Profit

69. The profits, return on investments and cash flow of the domestic industry have been examined as under:

Particulars	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
Cost of Sales	Rs./MT	***	***	***	***
	Indexed	100	111	136	158
Selling price	Rs./MT	***	***	***	***
	Indexed	100	94	97	106
Profit/Loss	Rs./MT	***	***	***	***
	Indexed	100	42	(24)	(56)
Profit/Loss	Rs. Lacs	***	***	***	***
	Indexed	100	35	(17)	(29)
Profit before Interest & Tax	Rs. Lacs	***	***	***	***
	Indexed	100	37	(12)	(21)
ROCE	%	***	***	***	***
	Indexed	100	44	(20)	(35)
Cash Profit	Rs. Lacs	***	***	***	***
	Indexed	100	36	(15)	(27)

70. All the parameters such as profitability, PBIT, cash profit and return on capital employed have deteriorated dismally and stayed at negative levels for most of the injury period.

(d) Inventories

71. It is noted that the inventories have declined over the injury period. The low level of inventory is noted to be attributable to the suspension of production by HOCL.

Inventories	UOM	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
Opening Stock	MT	***	***	***	***
Closing stock	MT	***	***	***	***
Average Stock	MT	***	***	***	***
<i>Average Stock</i>	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>120</i>	<i>94</i>	<i>51</i>

(e) Employment and Wages and Productivity

72. The status of employment levels, wages and productivity of the domestic industry is as follows:

Particulars	UOM	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
No. of Employees	Nos	***	***	***	***
	Indexed	100	89	89	86
Productivity Per Employee	MT/Nos	***	***	***	***
	Indexed	100	94	83	67
Productivity Per Day	MT/Day	***	***	***	***
	Indexed	100	84	74	57
Wages	Rs. Lacs	***	***	***	***
	Indexed	100	85	86	86

73. It is noted that employment, productivity and wages have declined in the POI in comparison with the base year.

(f) Magnitude of Dumping

74. Magnitude of dumping as an indicator of the extent to which the dumped imports can cause injury to the domestic industry shows that the dumping margin determined against the subject countries are above de minimis and substantial.

(g) Ability to raise capital

75. With regard to the ability to raise investments, it is noted that the domestic industry has not made fresh investments in the product under consideration. Further, even though the demand is far in excess of capacity with the domestic industry, the domestic industry is not able to utilize its capacity and is suffering losses.

(h) Factors affecting Domestic Prices

76. The examination of the import prices from the subject countries and other countries, change in the cost structure, competition in the domestic market, factors other than dumped imports that might be affecting the prices of the domestic industry in the domestic market shows that the landed value of imported material from the subject countries is below the selling price and cost of production of the domestic industry, causing significant price undercutting and underselling in the Indian market. It is further noted that the imports of the subject goods from other countries are at much higher prices, or attracting anti dumping duties or a part of anti dumping investigations. There is no viable substitute to this product. It is also noted that demand for the subject goods was showing significant increase during the injury period and this could not have been a factor affecting domestic prices. Thus the principal factor affecting the domestic prices is landed value of the subject goods from the subject countries.

(i) Growth

77. The various parameters of growth are examined as below. It is noted that nearly all the growth parameters have deteriorated and become negative while the return on capital employed has become positive in the post POI period. The overall growth of the domestic industry has been adverse during the injury period.

Growth		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
Production	%	-	(16.46)	(11.23)	(22.62)
Sales Volume	%	-	(21.92)	(13.16)	(17.33)
Cost of Sales	%	-	10.69	22.92	16.18
Selling Price	%	-	(6.05)	3.00	9.23
Profit / Loss	%	-	(57.61)	(157.14)	129.38
Return on Capital Employed	%	-	(60.46)	(68.43)	(15.44)

Conclusion on material injury

78. After examining the volume and price effects of the imports from the subject countries and its impact on the domestic industry, it is noted that the dumped imports of the subject goods from the subject countries have increased significantly in absolute terms as also in relation to production and consumption of the subject goods in India. After examining other volume parameters like sales, production and capacity utilization of the domestic industry, it is noted that domestic industry has suffered significant volume injury on account of dumped imports of subject goods from the subject countries. Further, with regard to the price effect on account of imports of the subject goods from the subject countries, it is noted that imports of the subject goods from the subject countries are significantly undercutting the prices of domestic industry. Further, the domestic industry has suffered price suppression on account of imports of product under consideration from the subject countries as sales price of the subject goods could not increase in proportion to the increase in cost of production of the subject goods during the injury period. With regard to consequent impact of the dumped imports on the domestic industry, it is concluded that the performance of the domestic industry has deteriorated in respect of production, capacity utilization, domestic sales, market share, profits, cash flow, return on investment, productivity and inventories. The decline in profits, return on investment and cash flows is quite significant and material. Thus, the Authority concludes that the domestic industry has suffered material injury.

H. CAUSAL LINK AND OTHER KNOWN FACTORS

79. Having examined the existence of material injury, volume and price effects of the dumped imports on the prices of the domestic industry in terms of its price undercutting, underselling, and price suppression and depression effects, other indicative parameters listed under the Indian Rules and Agreement on Anti-Dumping have been examined by the Authority to see whether any other factor, other than the dumped imports, could have contributed to injury to the domestic industry.

a) Imports from third countries and other known factors

80. Imports from third countries were negligible or are already subject to anti dumping duties and thus could not have caused injury to the domestic industry. Most of the imports of the subject goods from countries other than the subject countries and countries attracting anti dumping duty were at a price higher than that from the subject countries.

b) Contraction of demand

81. There has been a constant rise in demand of the product concerned throughout the injury period. Possible decline in demand is not a possible reason of injury to the Domestic Industry.

c) Changes in pattern of consumption

82. There is no observable change in the pattern of consumption.

d) Developments in technology

83. The investigation has not revealed any possible injury to the domestic industry that could have been caused by developments in technology.

e) Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers

84. There is no trade restrictive practice which could have contributed to the injury to the domestic industry.

f) Export performance of the domestic industry

85. The export performance is not relevant since the Authority has considered only the domestic performance of the Domestic Industry for injury analysis.

Parameters establishing causal link

86. It is thus noted that while listed known other factors do not show that injury to the domestic industry has been caused by these factors, the following parameters show that injury to the domestic industry has been caused by the dumped imports.

- a. The volume of dumped imports from the subject countries increased sharply resulting in increase in the share of dumped imports in the demand of the product under consideration in India. Consequently the domestic industry lost its market share.
- b. The imports were significantly undercutting the prices of the domestic industry. Resultantly, the domestic industry was not able to increase its price in line with the increase in the costs. Imports were thus resulting in price suppression being faced by the domestic industry in the POI.
- c. All the price parameters of the domestic industry have deteriorated as a result of dumped imports.
- d. The level of dumping margins and injury margins as determined are considered significant.

Magnitude of Injury Margin

87. The non-injurious price of the subject goods produced by the domestic industry has been compared with the landed value of the exports from the subject countries for determination of injury margin during POI. The injury margin determined are as under:-

Injury Margin Table

Country	Producers/ Exporters	NIP (USD/MT)	Landed Value (USD/MT)	Injury Margin (USD/MT)	Injury Margin (%)	Injury Margin Range (%)
Korea RP	M/s. LG Chem Ltd, (Producer) and Vinmar International Ltd, USA, Haresh Petrochem Singapore Pte Ltd, Singapore, Hyundai Corporation, Korea RP, ICC Chemical Corporation, USA, Kempar Energy Pte Ltd, Singapore, Dinowic Pte Ltd, Singapore, Hazel Middle East FZE, UAE, Integra Petrochemicals Pte Ltd, Singapore and Continent International Ltd, Hong Kong and Oxyde Chemicals China Ltd, Hong Kong (Exporters)	***	***	***	***	0-10%
	M/s. Kumho P&B Chemicals Inc (Producer) and Humade Corporation, Korea RP, Woori P and C Corporation, Korea RP and Canko Marketing Inc., Korea RP (Exporters)	***	***	***	***	(-)ve
	Any other combination	***	***	***	***	10-20%
Singapore	M/s. Mitsui Phenols Singapore Pte Ltd (Producer), M/s. Mitsui & Co. (Asia Pacific) Pte. Ltd, Singapore & M/s. Sumitomo Corporation Asia and Oceania Pvt Ltd, Singapore and Petrochem Asia Pte Ltd, Singapore (Exporters)	***	***	***	***	5-15%
	Any other combination	***	***	***	***	10-20%
European Union	All producers and exporters	***	***	***	***	10-20%

I. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUES

88. The Authority notes that the purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to reestablish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping measures would not restrict imports from the subject countries in any way and, therefore, would not affect the availability of the product to the consumers.
89. It is recognized that the imposition of anti-dumping duties might affect the price levels of the product manufactured using the subject goods and consequently might have some influence on relative competitiveness of this product. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the anti-dumping measures, particularly if the levy of the anti-dumping duty is restricted to an amount necessary to redress the injury to the domestic industry. On the contrary, imposition of anti-dumping measures would remove the unfair advantages gained by dumping practices, would prevent the decline in the performance of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods.

J. POST DISCLOSURE STATEMENT SUBMISSIONS BY THE INTERESTED PARTIES**Post Disclosure Statement submissions by the opposing Interested Parties**

90. Following are in brief the post Disclosure Statement submissions made by the opposing Interested Parties:
- a. SI Group is an importer and, therefore, not a domestic industry. SI Group has made substantial imports of the subject goods in the POI.
 - b. The petitioners have exceedingly relied on anti dumping duties for over a decade.
 - c. The exporters have remained cooperative throughout the investigation and have also facilitated a complete verification of their data to the Authority's satisfaction. Therefore, their individual margin has been rightly granted and their cooperative status should be continued.
 - d. The Authority has completely refrained from addressing the key causal link breaches identified by the exporters. Further, there are various other parameters causing injury which have simply not been examined by the Authority, in outright violation of the principles of natural justice. The Authority is requested to address the above issues with reasoned findings.
 - e. The Authority may clarify, on a non-confidential basis, if the Capital Employed of the domestic industry has been determined using book value or market value of the assets. Only the book value of the domestic industry's assets may be relied upon to determine Capital Employed. Further, the Authority may clarify that the NIP has been considered at ex-factory level (i.e., not inclusive of inland freight) and that no credit expenses have been deducted while calculating landed price.
 - f. During the POI, M/s. Haresh Petrochem Singapore PTE Ltd., Singapore has exported Phenol sourced from LG Chem as well Mitsui & Co. (Asia Pacific) Pte Ltd (1759 Mt). However in the Disclosure Statement the Authority has mentioned its name as trader/exporter of LG Chem alone and not as trader/exporter with Mitsui & Co. The name of Haresh Petrochem Singapore PTE Ltd as Trader/exporter of Mitsui & Co. (Asia Pacific) Pte Ltd may please be considered.

Post Disclosure Statement submissions by the Domestic Industry

91. Following are in brief the post Disclosure Statement submissions made by the domestic industry:
- a. The dumped imports of the subject goods from the subject countries have increased significantly in absolute terms as also in relation to production and consumption of the subject goods in India.
 - b. The domestic industry has suffered significant volume injury on account of dumped imports of subject goods from the subject countries.
 - c. The imports of the subject goods from the subject countries are significantly undercutting the prices of domestic industry.
 - d. The domestic industry has suffered price suppression on account of imports of product under consideration from the subject countries.
 - e. The performance of the domestic industry has deteriorated in respect of production, capacity utilization, domestic sales, market share, profits, cash flow, return on investment, productivity and inventories. The decline in profits, return on investment and cash flows is quite significant and material. Thus, the domestic industry has suffered material injury.
 - f. The dumping margin with respect to all the cooperating exporters from the subject countries and the subject countries as a whole is above de-minimis except for LG Chem Ltd. and Kumho P&B Chemicals Inc.
 - g. It is not clear how export price claimed by the exporters compares to the Indian customs data, Director General Systems data and petition. In view of negative dumping margin of these companies, the same may be cross checked.
 - h. LG Chem has repeatedly been investigated by the Designated Authority in India for different products and has been found to have de-minimis dumping margin. Similarly, Kumho in a number of cases has been found to have de-minimis dumping so long as the dumping margin is based on its questionnaire responses.

- i. In phenol, no producer is able to fetch a price materially different from other suppliers in one market and even when Authority found significant dumping margin in respect of other exporters in this product and other products, the Authority has found de-minimis dumping margin in respect of these companies.
- j. Published prices in trade journals show much higher domestic prices in Korea.
- k. Korean customs data show that the Korean producers have exported the product under consideration at much higher prices in third countries.
- l. How Kumho has been able to export at prices not matching the market prices and almost at the same level as ex-factory realisation.
- m. Value chain does not appear complete in case of LG Chem. ICC Chemical Corporation, USA, Dinowic Pte Ltd, Singapore, Hazel Middle East FZE, UAE, Integra Petrochemicals Pte Ltd, Singapore does not appear to have filed questionnaire response. Further, Kempar Energy Pte Ltd, Singapore name has been mentioned in the dumping margin and injury margin table. But name of this exporter is not mentioned in the procedure part. It appears that this company has also not filed questionnaire response.
- n. The NIP should be determined considering actual cost of production, based on actual consumption norms, actual capacity utilisation. The return on investment should not be based on NFA, or the rate of return should be higher considering the age of the plant.

Examination by the Authority

92. The Authority notes that most of the above arguments of the opposing interested parties and the domestic industry are repetitive and have already been dealt with by the Authority in the Disclosure Statement earlier and have also been dealt with again in the Final Findings Notification. The Authority notes that the imports made by SI Group India Ltd were not made available in the market. Therefore, the Authority holds that the imports made by SI Group did not disqualify it from being a part of the domestic industry. The Authority recommends any measures or duty only after following the legal requirements. Irrespective of the history, every case is examined for a fresh period of investigation on its independent merits. The domestic industry has suffered volume injury, price undercutting and price suppression. As far as the issue of non-injurious price is concerned, the Authority has determined the non-injurious price as per the guidelines laid down in Annexure III to the AD Rules. It is also noted that during the POI, M/s. Haresh Petrochem Singapore PTE Ltd., Singapore has exported Phenol sourced from LG Mitsui & Co. (Asia Pacific) Pte Ltd as well and thus the Authority has included the name of M/s. Haresh Petrochem Singapore PTE Ltd., Singapore as a trader/exporter of Mitsui & Co. (Asia Pacific) Pte Ltd as well. Further, the Authority has relied upon the DGCI& data as per its past practices. The responding exporters have provided relevant information regarding value chain.

K. CONCLUSION

93. After examining the submissions made by the opposing interested parties and the domestic industry and issues raised therein; and considering the facts available on record, the Authority concludes that the product under consideration has been exported to India from the subject countries below its associated normal value, thus, resulting in dumping of the product. The domestic industry has suffered material injury in respect of the subject goods. The material injury has been caused by the dumped imports from the subject countries. The performance of the domestic industry has deteriorated in respect of production, capacity utilization, domestic sales, market share, profits, cash flow, return on investment, productivity and inventories. The decline in profits, return on investment and cash flows is quite significant and material. Thus, the Authority concludes that the domestic industry has suffered material injury.

L. RECOMMENDATIONS

94. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers and other interested parties to provide positive information on the aspects of dumping, injury and the causal link. Having initiated and conducted investigation into dumping, injury and the causal link thereof in terms of the AD Rules and having established positive dumping margins as well as material injury to the domestic industry caused by such dumped imports, the Authority is of the view that imposition of definitive anti dumping duty is required to offset dumping and consequent injury. Therefore, the Authority considers it necessary to recommend imposition of definitive anti-dumping duty on imports of the subject goods from the subject countries in the form and manner described hereunder.
95. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends imposition of definitive anti-dumping duty equal to the lesser of the margin of dumping and the margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, definitive antidumping duty as per amount specified in the table below is recommended to be imposed from the date of the Notification to be issued by the Central Government, on all imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries.

Duty Table

Sl. No.	ITC(HS) Code	Product Description	Country of Origin	Country of Exports	Producer	Exporter	Duty Amount	Unit	Currency
1.	29071110	Phenol	Korea RP	Korea RP	M/s. LG Chem Ltd	Vinmar International Ltd, USA, Haresh Petrochem Singapore Pte Ltd, Singapore, Hyundai Corporation, Korea RP, ICC Chemical Corporation, USA, Kempar Energy Pte Ltd, Singapore, Dinowic Pte Ltd, Singapore, Hazel Middle East FZE, UAE, Integra Petrochemicals Pte Ltd, Singapore and Continent International Ltd, Hong Kong and Oxyde Chemicals China Ltd, Hong Kong	Nil	MT	US\$
2.	29071110	Phenol	Korea RP	Korea RP	M/s. LG Chem Ltd	Any other than at Sl. No.1	77.19	MT	US\$
3.	29071110	Phenol	Korea RP	Korea RP	Any other combination	Any other combination	77.19	MT	US\$
4.	29071110	Phenol	Korea RP	Korea RP	M/s. Kumho P&B Chemicals Inc	Humade Corporation, Korea RP, Woori P and C Corporation, Korea RP and Canko Marketing Inc., Korea RP	Nil	MT	US\$
5.	29071110	Phenol	Korea RP	Korea RP	M/s. Kumho P&B Chemicals Inc	Any Other than at Sl. No. 4	77.19	MT	US\$
6.	29071110	Phenol	Korea RP	Korea RP	Any other combination	Any other combination	77.19	MT	US\$
7.	29071110	Phenol	Korea RP	Any	Any	Any	77.19	MT	US\$
8.	29071110	Phenol	Any country other than subject countries	Korea RP	Any	Any	77.19	MT	US\$
9.	29071110	Phenol	Singapore	Singapore	M/s. Mitsui Phenols Singapore Pte Ltd	M/s. Mitsui & Co. (Asia Pacific) Pte. Ltd, Singapore, M/s. Sumitomo Corporation Asia and Oceania Pvt Ltd, Singapore and Petrochem Asia Pte Ltd, Singapore	Nil	MT	US\$
10.	29071110	Phenol	Singapore	Singapore	M/s. Mitsui Phenols Singapore Pte Ltd	Any Other than Sl. No. 9	219.58	MT	US\$
11.	29071110	Phenol	Singapore	Singapore	Any other combination	Any other combination	219.58	MT	US\$
12.	29071110	Phenol	Singapore	Any	Any	Any	219.58	MT	US\$

Sl. No.	ITC(HS) Code	Product Description	Country of Origin	Country of Exports	Producer	Exporter	Duty Amount	Unit	Currency
13.	29071110	Phenol	Any country other than subject countries	Singapore	Any	Any	219.58	MT	US\$
14.	29071110	Phenol	European Union	European Union	Any	Any	253.06	MT	US\$
15.	29071110	Phenol	European Union	Any	Any	Any	253.06	MT	US\$
16.	29071110	Phenol	Any country other than subject countries	European Union	Any	Any	253.06	MT	US\$

****Explanation:** Where there is overlapping of antidumping duty on the subject goods with respect to a subject country in different customs notifications, the duty applicable to that subject country shall be the one imposed under the customs notification in which the said country has been specifically mentioned under the Column “Country of Origin.”

96. Landed value of imports for the purpose of this Notification shall be the assessable value as determined by the Customs under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and includes all duties of customs except duties under sections 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the said Act.
97. An appeal against the order of the Central Government arising out of this finding shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act.

A.K. BHALLA, Designated Authority